



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—उपखंड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36/ नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 20, 1990/कार्तिक 29, 1912
No. 36] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 20, 1990/KARTIKA 29, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1990

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (कर्मचारी भविष्य निधि),
विनियम, 1990

सं. 3590/वि.एफ.—भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम,
1989 (1989 का 39) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड
(ब) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
बैंक विकास बैंक के पूर्व प्रमुखों से इनके द्वारा निम्नलिखित विनियम
बनाता है:

(1) (i) इन विनियमों का नाम भारतीय लघु उद्योग विकास
बैंक (कर्मचारी भविष्य निधि) विनियम, 1990 है।

(ii) ये विनियम 1990 से लागू होंगे।

(2) परिभाषाएँ जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात धिक्क न
हो इन विनियमों के अन्तर्गत—

(1) "अधिनियम" से अभिप्राय भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
अधिनियम, 1989 (1989 का 39) है।

(2) "प्रशासन" से अभिप्राय इन विधि के प्रशासन है।

(3) "प्रबंध निदेशक" से अभिप्राय लघु उद्योग बैंक के प्रबंध
निदेशक है।

(4) "निधि" से अभिप्राय विनियम 3 के अन्तर्गत गठित निधि है।

(5) "स्थानान्तरित कर्मचारी" से अभिप्राय ऐसा व्यक्ति है जो इस
अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (2) की शर्तों के
अनुसार लघु उद्योग बैंक के कर्मचारी बर्ग का सदस्य बन
चुका है परन्तु इनमें ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जिसने
नियम तारीख में तो महीने की अवधि के भीतर, विकास
बैंक में वापस जाने के लिए चयन किया है।

(6) इन विनियमों और इन अधिनियम में जिन शर्तों और अभि-
प्रायों का प्रयोग किया गया है परन्तु जिनकी परिभाषा
नहीं की गई है, उनका इन अधिनियम के प्रयोगार्थ अर्थः
वही धर्य होगा जो कि उनके संबंध में निर्धारित किया गया
है।

(3) मन्तव्य:—एक निधि का मन्तव्य किया जाएगा जो "भारतीय
लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी भविष्य निधि" कही जाएगी।

(4) प्रशासन:—यह निधि लघु उद्योग बैंक द्वारा रखी जाएगी
और इसका प्रशासन प्रशासकों की एक समिति द्वारा किया जाएगा,

जिसमें इसके प्रबंध निदेशक, बोर्ड द्वारा नामित दो अन्य निदेशक, एक कार्यपालक निदेशक या महा प्रबंधक तथा तीन अन्य व्यक्ति होंगे, जिनमें से एक अधिकाधिक, दूसरा विधिक वर्गीय कर्मचारियों तथा तीसरा अधीनस्थ सेवा के कर्मचारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगा। वे चारों, प्रबंध निदेशक द्वारा नामित किए जाएंगे। विभिन्न विनियमों के अन्तर्गत उद्धृत प्रदत्त विधिगत कृतियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने बिना, इस विधि के प्रभासक इन विनियमों के अधीन इस विधि की ओर से सभी कृतियों का प्रयोग और सभी कार्य करने के हकदार होंगे।

(5) प्रभासकों की बैठक:—प्रभासकों की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक प्रथम नामित निदेशकों में से एक निदेशक करेगा। बारम्बार के सम्बन्धकार के लिए कोरम की पूर्ति के लिए कम से कम तीन प्रभासकों की उपस्थिति जरूरी होगी जिनमें से एक प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक या नामित निदेशकों में से एक निदेशक होगा। प्रत्येक प्रभासक का एक वोट होगा और समान विभाजन के सभी मामलों में वोट के अभाव का वोट निर्णायक मत होगा।

(6) सेवा-विवरण:—इस विधि के लेखे बर्ष में 31 मार्च को तैयार किए जाएंगे और इन लेखों का उम तारीख तक का सेवा-परीक्षित विवरण प्रतिबर्ष 31 अगस्त तक प्रथम उमके, बाद किसी ऐसी तारीख को, जिसे प्रभासक अनुमति प्रदान करें, प्रभासकों की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा, तथा ऐसी बैठक के बाद यथार्थात्, विवरण की एक प्रति प्रत्येक कार्यालय और जगहा में अधिदाताओं को उपलब्ध कराई जाएगी।

(7) किन्-किन् के लिए सदस्यता प्रतिबन्ध है:—(1) लघु उद्योग बैंक का प्रत्येक स्थायी कर्मचारी इस विधि में अधिदान के लिए अयोग्य होगा।

(2) ऐसा कर्मचारी जिसे किसी पर पर परिबीक्षाधीन नियुक्त किया जाता है, यदि स्थायी बना दिया जाता है तो वह एक स्थायी कर्मचारी बन जाएगा और वह अपने प्रथम नियुक्ति की तारीख से इन विनियमों के प्रयोजनार्थ एक स्थायी कर्मचारी समझा जाएगा।

(3) (क) ऐसे कर्मचारी जिनमें भिन्न अस्थायी कर्मचारी, जो किसी अन्य विधि में पहले से अंगदान कर रहा है, इस विधि में अधिदान कर सकता है, यदि उसे ऐसा करने के लिए प्रभासकों द्वारा अनुमति दी जाए।

(ख) लघु उद्योग बैंक से नैमित्तिक पारिश्रमिक से भिन्न पारिश्रमिक प्राप्त करने वाला कोई अन्य व्यक्ति भी इस विधि में अधिदान कर सकता है, यदि उसे ऐसा करने की प्रभासकों द्वारा अनुमति दी जाए।

परन्तु इस विधि में ऐसे व्यक्ति के नाम यदि कोई रकम जमा है और यह विनियम 19 के उपबंधों के कारण उसे संदेय हो जाती है, तो अचानक मामलों में ऐसी रकम यदि ऐसी अनुमति प्रभासकों द्वारा दी जाए तो ऐसे समय तक इस विधि में उसके नाम जमा रहेगी जब तक कि वह लघु उद्योग बैंक से नैमित्तिक पारिश्रमिक से भिन्न पारिश्रमिक प्राप्त करता है और विनियम 18 में दी गई किसी बात के होने हुए भी ऐसी रकम पर व्याज उपचित होगा।

(4) विनियम 3 के अन्तर्गत इस विधि का सृजन किए जाने पर प्रत्येक स्थानांतरित कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इसका सदस्य बन गया है और यह इन विनियमों के अनुसार इस विधि में अंगदान करने के लिए बाध्य होगा।

(6) (1) प्रत्येक स्थानांतरित कर्मचारी के नाम भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कर्मचारी अधिष्प विधि में जमा होय राशि इस

विधि में स्थानांतरित हो जाएगी और वह इस विधि में उसके बारे में जमा कर दी जाएगी।

(2) प्रभासक किसी भी ऐसे कर्मचारी के अनुदेश पर, जिसके लिए विनियम 7 के अन्तर्गत इस विधि में अधिदान करना जरूरी है या जिसे इनकी अनुमति दी जाती है, के संबंध में उनके अनुपूर्व नियोक्ता द्वारा रने गए अधिष्प विधि लेखों में उदाही देय किसी राशि को जो ऐसे कर्मचारी के नाम जमा है, उक्त नियोक्ता द्वारा इस विधि में सीधे अंगदान करने पर प्राप्त कर सकते हैं।

(3) लघु उद्योग बैंक से यह घोषणा नहीं की जाएगी कि वह इस विनियम के अधीन विधि में अंगदान किसी रकम के संबंध में कोई अंगदान करे।

(4) यदि लघु उद्योग बैंक के कर्मचारियों के किसी श्रेणी के कर्मचारी की वेतन या भत्तों की कोई बहादा रकम संदेय हो जाती है और लघु उद्योग बैंक द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि ऐसी बहादा रकम या उमका कोई भाग, यथास्थिति, नकद के रूप में अंगदान नहीं किया जाएगा, वकि यह अंगदान कर्मचारी के अधिष्प विधि लेखों में जमा किया जाए, तो प्रभासक लघु उद्योग बैंक के अनुदेश पर ऐसे कर्मचारियों के नाम जमा राशि को उनके अधिष्प विधि लेखों में इस प्रकार जमा किये जाने के लिए प्राप्त करेगा।

परन्तु यह है कि लघु उद्योग बैंक में यह घोषणा की नहीं जाएगी कि वह इस विधि में अंगदान किन्हीं राशियों के संबंध में कोई अंगदान करे।

(5) इन विनियमों में किसी बात के विरुद्ध होने हुए भी उम समय तक जब तक कि कोई सहयोगी संस्था आदेशक विनियम या नियम, यथास्थिति, तैयार करने के पश्चात् अपने स्वयं की अधिष्प विधि स्थापित नहीं कर लेती, प्रभासक अपने विवेकानुसार ऐसे व्यक्तियों से अधिदान, जो सहयोगी संस्थाओं के कर्मचारी हैं और उनकी ओर से नियोक्ता सहयोगी-संस्थाओं द्वारा अंगदान प्राप्त कर सकते हैं तथा इस विधि में ऐसे अधिदान और अंगदान रखेंगे एवं उनके लेखों का रखरखाव करेंगे और करते रहेंगे और इस बात के होने हुए भी कि ऐसे अधिदाता लघु उद्योग बैंक के कर्मचारी नहीं हैं प्रथम नहीं रह गये हैं, ऐसे लेखों के संबंध में कृतियों का प्रयोग प्रभासकों प्रथम ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाए जिन्हें इस प्रयोजनार्थ प्रभासक नामित करें।

स्पष्टीकरण:—इस विनियम के प्रयोजनार्थ एक संस्था को एक एक "सहयोगी संस्था" समझा जाएगा, यदि ऐसी संस्था की पूंजी में लघु उद्योग बैंक के 40 प्रतिशत शेयर हैं या कम से कम इतने शेयर रहे हैं।

(9) अधिदान की दर (i) अधिदान की दर, उक्त तारीख से, जिससे अधिदाता अधिदान आरम्भ करता है, अधिदाता द्वारा स्वयं अपने वेतन की अधिकतम 10% और न्यूनतम 5% की दर से नियत की जाएगी।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन किये गये अधिदान के प्रतिरुद्ध कोई भी अधिदाता इस विधि में विनियम 9(1) के अधीन अधिदत्त राशि बटाकर अपने वेतन की राशि तक अधिदान कर सकता है परन्तु यह उसके वेतन के 5% से कम नहीं होगा।

(3) उप-विनियम (ii) के अन्तर्गत इस विधि में अधिदान करने वाला प्रत्येक व्यक्ति लघु उद्योग बैंक को एक नोटिस देगा, जिसमें इससे संलग्न अधिष्प-विधि फार्म 7 में अधिदान की दर का उल्लेख किया जाएगा।

(4) लघु उद्योग बैंक द्वारा ऐसे प्रतिदान की कटौती उसके मासिक वेतन से पूर्ण रूपसे में प्राकल्पित राशि के रूप में कर ली जाएगी। प्रतिदाता द्वारा एक बार जब प्रतिदान की दर तय कर दी जाती है तो इसमें परिवर्तन उसकी दम इच्छा की लिखित सूचना मिलने पर ही किया जाएगा जो कि उसके द्वारा कम से कम एक महीने पहले उस अधिकारी को दी गई हो जो उसे भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है।

लघु उद्योग बैंक :—इस विनियम में अभिव्यक्ति "वेतन" में

- (i) मन वेतन, विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन, विशेष वैयक्तिक वेतन, समुदायगत वेतन और स्थानागत वेतन शामिल है।
- (ii) कोई भत्ता या अन्य परिलब्धि तब तक शामिल नहीं है, जब तक इसका बोर्ड द्वारा वेतन के रूप में विशेष रूप से वर्गीकरण नहीं किया गया हो।

(10) छुट्टी पर रहने हुए प्रतिदाता का प्रतिदान :—छुट्टी पर अनुपस्थित रहने वाले प्रतिदाता के प्रतिदान का निर्धारण ऐसी अनुपस्थिति के दौरान उसके छुट्टी वेतन के आधार पर किया जाएगा परन्तु ऐसी किसी भी प्रतिदाता को यह स्वतंत्रता होगी कि वह अपने पूरे वेतन की रकम के आधार पर प्रतिदान करे, परन्तु ऐसा करने की उसकी इच्छा की लिखित सूचना उसके द्वारा अपने छुट्टी वेतन के प्रथम भुगतान से कम से कम 14 दिन पहले उस अधिकारी को दी जाती है जो उसे भुगतान के लिए जिम्मेदार होता है।

(11) लघु उद्योग बैंक का प्रशंसा :—इन विनियमों में प्रत्येक को गई व्यवस्था को छोड़कर लघु उद्योग बैंक इस निधि में एक प्रतिदाता द्वारा प्रतिमास जितनी राशि प्रतिदाता की जाती है उसके बराबर राशि का प्रशंसा करेगा, परन्तु लघु उद्योग बैंक द्वारा विनियम 7 के उप-विनियम (iii) तथा विनियम 9 के उप-विनियम (ii) के अन्तर्गत अनुमति दिए गए प्रतिदाताओं के मामले में कोई ऐसा प्रशंसा नहीं किया जाएगा।

यह और कि विनियम 7 के उप-विनियम (iii) के अन्तर्गत प्रतिदान करने वाले ऐसे प्रस्थापी कर्मचारी के मामले में, जिसकी बाद में लघु उद्योग बैंक में स्थायी नियुक्ति कर दी जाती है, लघु उद्योग बैंक उन कर्मचारी के स्थायी बना दिए जाते हैं उनको प्रस्थापी सेवा के दौरान उसके द्वारा प्रतिदाता राशि के बराबर रकम का प्रशंसा करेगा।

यह और कि ऐसे प्रतिदाता के मामले में जिसे विनियम 7 के उप-विनियम (iii) के अन्तर्गत प्रतिदान करने की अनुमति दी गई है, लघु उद्योग बैंक प्रशंसा करने के लिए केवल तभी जिम्मेदार होगा जब कि ऐसे प्रतिदाता की सेवा-शर्तों में यह व्यवस्था है कि लघु उद्योग बैंक ऐसा प्रशंसा करे।

(12) विनियम 11 में निहित किसी बात के होने हुए जहां भी प्रत्येक प्रस्थापी संबंध निर्देशक**** की सेवा-शर्तों में यह उपबंध है कि वह इस निधि में अपना प्रतिदान करे, तो लघु उद्योग बैंक ऐसी सेवा-शर्तों के अन्तर्गत उस तारीख से जो लागू हो इस निधि में उसके लेखे में प्रतिमास इतनी रकम का, यदि कोई हो, जितनी उक्त सेवा शर्तों में व्यवस्था की गई हो, प्रशंसा करेगा।

(13) ब्याज :—लघु उद्योग बैंक प्रत्येक छह महीने के अन्त में प्रत्येक प्रतिदाता के नाम जमा रकम पर ऐसी दर से ब्याज जमा करेगा, जो उस प्रतिदाता को ध्यान में रखकर लघु उद्योग बैंक द्वारा निर्धारित की जाएगी, जो कि इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार किए गए विनियमों, योजनाओं या दिए गए निर्देशों के अनुसार अन्य प्रविश्य निधि, धर्मार्थ, धार्मिक और ग्यास तथा धर्म-ग्यास निधियों में पूंजी निवेश से प्राप्त किए जा सकते हैं। परन्तु जहां यह है कि ब्याज की दर विकास बैंक द्वारा उसके कर्मचारी प्रविश्य निधि के मामले में दी गई दर के बराबर** होगी। ऐसा ब्याज प्रत्येक प्रतिदाता के मासिक भुगतान के

आधार पर पूर्ण रूपसे तक प्राकल्पित किया जाएगा तथा 31 मार्च और 30 सितम्बर की प्रत्येक वर्षों पर लागू किया जाएगा।

(14) प्रत्येक प्रतिदाता के लेखे का वार्षिक विवरण :—प्रत्येक प्रतिदाता प्रशासक से एक वार्षिक विवरण प्राप्त करेगा, जिसमें निधि में उसके नाम जमा राशि का उल्लेख किया जाएगा।

(15) निधि में उधार लेना :—(i) प्रतिदाता द्वारा प्रायश्चित्त किये जाने पर लघु उद्योग बैंक स्वविवेकानुसार एक प्रस्थापी प्रथिम, जिसकी राशि प्रतिदाता के अपने प्रतिदाताओं और उग पर लगे ब्याज से किसी भी मामले में निधि में उसके नाम जमा राशि से अधिक नहीं होगी, निम्न-लिखित शर्तों के अधीन मंजूर किया जा सकता है :—

(क) लघु उद्योग बैंक प्रायश्चित्त हो कि यह राशि निम्नलिखित उद्देश्य या उद्देश्यों के लिए खर्च की जाएगी और अन्यथा नहीं :—

(1) प्रतिदाता या उग पर वास्तव में प्रायश्चित्त किये व्यक्ति की बीमारी या अशक्तता के संबंध में किए गए खर्च के भुगतान के लिए, जहां कहीं जरूरी हो, उसमें यात्रा खर्च भी शामिल है।

(2) प्रतिदाता प्रथम उग पर वास्तव में प्रायश्चित्त कोई व्यक्ति की उच्च शिक्षा का खर्च पूरा करने के लिए जिसमें, जहां कहीं आवश्यकता हो, यात्रा खर्च भी शामिल है, निम्नलिखित मामलों में, जैसे :—

(क) हाई स्कूल की शिक्षा के स्तर में छात्र भारत के बाहर किसी विश्वविद्यालय, तकनीकी, व्यावसायिक प्रथम रोजगारपरख शिक्षा के लिए, और

(ख) स्कूल में दम वर्ष तक सफलतापूर्वक अध्ययन पूरा करने पर किसी मान्यताप्राप्त संस्था द्वारा संचालित किसी डाक्टरी, इंजीनियरी, तकनीकी, व्यावसायिक या विशेष प्रकार के रोजगारपरख पाठ्यक्रम के लिए जो डिग्री/डिप्लोमा या प्रमाणपत्र की प्राप्ति हेतु है।

(3) अपनी इमिग्रेशन के उपयुक्त स्तर तक प्रविषय खर्च के भुगतान के लिए, जो किसी प्रतिदाता को अपने स्वयं के या अपने बच्चा या किसी ऐसे व्यक्ति के, जो उस पर वास्तव में प्रायश्चित्त है, के विवाहों अन्य समारोहों के संबंध में खर्च करना है।

परन्तु यह कि वास्तविक प्रायश्चित्त की शर्त प्रतिदाता के पुत्र या पुत्री प्रथम प्रतिदाता के माता-पिता के अस्वैच्छित-संस्कार का खर्च पूरा करने के लिए प्रयोजित प्रथिम में लागू नहीं होगी;

(4) अपनी कार्यालयीन छुट्टी निभाने में उसके द्वारा किए गए किसी कार्य प्रथम प्रतिदाता किसी कार्य के किये जाने के संबंध में उसके विरुद्ध लगाये गए किसी आरोप के संबंध में, उसकी स्थिति को निर्दोष ठहराने के लिए प्रतिदाता द्वारा की गई कानूनी कार्यवाही का खर्च पूरा करने के लिए इस मामले में प्रथिम किसी अन्य प्रथिम के प्रतिरिक्त उपलब्ध कराया जाएगा जो लघु उद्योग बैंक से किसी प्रतिरिक्त प्रथम शर्त से इसी उद्देश्य के लिए स्वीकार्य है।

परन्तु जहां यह है कि इस उप-खंड के अन्तर्गत किसी भी ऐसे प्रतिदाता को जो या तो अपनी कार्यालयीन छुट्टी से अर्पण किसी मामले या किसी सेवा शर्त प्रथम उग पर लगाये गए प्रथम के संबंध में लघु उद्योग बैंक के विरुद्ध किसी ग्यासलय में कानूनी कार्यवाही करता है, प्रथिम स्वीकार्य नहीं होगा;

(5) यदि किसी ग्यासलय में लघु उद्योग बैंक द्वारा प्रतिदाता पर प्रविषय बनाना गया है तो अपने बचाव का खर्च पूरा करने के लिए;

(6) कोई ऐसा प्रथम खर्च या व्यय को पूरा करने के लिए जो लघु उद्योग बैंक की राय में प्रत्याजित और असाधारण तथा प्रतिदाता के सामान्य साधनों के बाहर है।

(ख) किन्हीं विशेष कारणों से सिवाय कोई भी प्रथिम,

(1) 3 महीने के वेतन ("वेतन" जिसकी परिभाषा विनियम 9 के स्पष्टीकरण में दी गई है) या इस निधि में अभिदाता के अपने स्वयं के प्रभिदानों की प्राची राशि और उस पर लगे ब्याज, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं; या

(2) तब तक मंजूर न किया जाए जब तक कि निम्नलिखित प्राथमिक प्रतिम प्रदायणी न कर दी गई हो।

(ii) (क) अभिदाता से कोई भी प्राथमिक उन समान विस्तारों में वसूल किया जाएगा जिनके लिए लघु उद्योग बैंक निदेश देगा, परन्तु यह किस्त संख्या 12 से कम नहीं होगी जब तक कि अभिदाता ऐसा करना न चाहे या यह किस्त संख्या 24 से अधिक नहीं होगी बगलें ऐसे विशेष मामलों में जहां प्राथमिक की राशि तीन महीने के वेतन से अधिक है जैसा कि उप-विनियम (i) के छठ (ख) के अनुसार व्यवस्था की गई है। ऐसे मामलों में लघु उद्योग बैंक किस्तों की संख्या 24 से अधिक निर्धारित कर सकता है, परन्तु किसी भी स्थिति में वे 36 से अधिक न हों। अभिदाता अपने विकल्प से एक मास में एक से अधिक किस्त दे सकता है। प्रत्येक किस्त पूरे कार्य में होगी, यदि आवश्यक हो तो ऐसी किस्तों के निर्धारण को स्वीकार करने के लिए प्राथमिक की राशि को बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

(ख) वसूलियां तभी शुरू होंगी, जब कि अभिदाता प्राथमिक लेने के बाद पहली बार पूरे महीने का अपना वेतन लेगा। जब कोई अभिदाता पूरे वेतन पर छुट्टी से बिना छुट्टी या निर्वाह अनुदान पर हो, अभिदाता को सहमति के बिना वसूली नहीं की जाएगी।

(ग) इस उप-विनियम के अन्तर्गत की गई वसूलियां ज्यों ही बे कर ली जाती हैं, इस निधि में अभिदाता के लेखे में जमा की जाएगी।

(16) (1) लघु उद्योग बैंक के विवेकानुसार और ऐसी शर्तों और परिस्थितियों के अधीन जो वह लागू करे अभिदाता को इस निधि में उसके नाम जमा राशि से किसी सहकारी प्रावास सोसाइटी से भेयर छोड़ने या बचत के रूप में प्रथम प्रत्येक कोई रकम जमा करने या उसे भुगतान करने के प्रयोजनार्थ प्राप्ति देने पर प्राथमिक स्वीकृत किया जा सकता है परन्तु प्रत्येक मामले में यह केवल प्राणी रिहायश के लिए एक उपयुक्त घर या परिवार प्रथम उस पर प्राप्ति किसी व्यक्ति के लिए रिहायश प्राप्त करने के उद्देश्य से हो।

(2) इस विनियम के अन्तर्गत कर्मचारी को सेवा के दौरान केवल एक बार प्राथमिक लेने की अनुमति दी जाएगी और यह इस निधि में अभिदाता के प्रभिदानों और उस पर लगे ब्याज की राशि प्रथम प्रयोजन जिसके लिए प्राथमिक के लिए प्राप्ति किया गया है, के लिए प्रेषित वास्तविक राशि से, इनमें जो भी कम हो, अधिक नहीं होगी।

(3) इस विनियम के अन्तर्गत प्राथमिक होने मात्र किस्तों, इतने समय तक तथा इतनी राशि में वसूल किया जाएगा जिनके लिए लघु उद्योग बैंक निदेश देगा परन्तु किसी भी मामले में किस्तों की संख्या 120 से ज्यादा नहीं होगी। अभिदाता अपने विकल्प से एक महीने में एक से अधिक किस्त दे सकता है और प्रत्येक किस्त पूर्ण रूप से होगी।

(17) बीमा पॉलिसी:— (1) लघु उद्योग बैंक द्वारा जारी रखा गई या अनुमोदित बीमा योजना के अन्तर्गत संबंधित अभिदाता को जीवन बीमा पॉलिसी से संबंधित भुगतान करने के लिए रकमें इस निधि के प्रभिदानों से रोक ली जा सकती है या अभिदाता द्वारा इस संबंध में प्रतिदत्त राशि से (जिसमें इस पर लगे ब्याज भी शामिल है) भुगतान का संबंध है। इस अभिदाता पर इस प्रकार रोकें गई कोई भी रकम विनियम 11 के अन्तर्गत लघु उद्योग बैंक के अंशदाता के प्राप्ति के प्रयोजनार्थ प्रभिदान का हिस्सा समझी जाएगी।

(2) जहां उपर्युक्त उप-विनियम (1) के अन्तर्गत अभिदाता द्वारा इस निधि के प्रभिदानों से रकमें रोक ली जाती हैं या इनसे संबंधित प्राप्ति रकमों से प्रत्याहृत की जाती हैं तो बीमा पॉलिसी जिसके संबंध में ऐसी रकमें रोक ली जाती हैं या प्रत्याहृत की जाती हैं व ऐसी पॉलिसी के संबंध में बीमा किस्त के भुगतान के प्रतिफलस्वरूप तथा

ऐसी शर्तों पर लघु उद्योग बैंक में अंतरित की जाएगी जो कि बीमाकर्ता से लघु उद्योग बैंक द्वारा वसूल की गई राशि, यदि कोई हो, के मध्य में लघु उद्योग बैंक लागू कर सकता है।

(18) ब्याज कब उपचित होना बंद हो जाता है:— इस निधि के खातों में अभिदाता के नाम जमा सभी रकमों पर ब्याज निर्धारित भवधि से ऊह महीने की अवधि समाप्त होने पर उपचित होना बंद हो जाएगा:

(क) जिस दिन वह लघु उद्योग बैंक की नौकरी छोड़ देता है, या

(ख) यदि वह लघु उद्योग बैंक की सेवा ऐसी किसी छुट्टी की समाप्ति पर छोड़ देता है जो उस तारीख से प्रथम उस तारीख के बाद प्रारंभ होती है जिस तारीख को वह लघु उद्योग बैंक की सेवा में नियुक्त हो जाता, अगर वह छुट्टी पर नहीं जाता प्रथम छुट्टी की ऐसी अवधि के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती तो उस दिन से जिस दिन ऐसी छुट्टी की अवधि प्रारंभ होती, प्रथम

(ग) यदि लघु उद्योग बैंक की सेवा छोड़ने से पूर्व उपर्युक्त खंड (ख) में उल्लिखित परिस्थितियों से निम्न परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु की तारीख से परन्तु यह कि किसी भी मामले में छह महीने की अवधि की समाप्ति के पूर्व,

(i) अभिदाता या किसी अन्य व्यक्ति के अनुरोध पर, जिन विनियम 25 के अन्तर्गत रकमें संवेद्य हों, तो उन रकमों या उसका कोई भाग संवितरित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, प्रथम

(ii) किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के प्रादेश के अनुकरण में उक्त रकमों या उनके किसी भाग का ऐसे न्यायालय या न्यायाधिकरण के प्रादेश से भुगतान किया जाता है।

उक्त रकमों पर या रकमों के किसी अंश पर, प्रत्यास्थिति, जिस तारीख से उन रकमों या उनके किसी अंश को संवितरण के लिए प्राधिकृत किया जाता है या ऐसे न्यायालय प्रथम न्यायाधिकरण के प्रादेश पर भुगतान किया जाता है प्रत्यास्थिति, ब्याज उपचित होना बंद हो जाएगा।

यह और कि उपर्युक्त छह महीने की अवधि समाप्त होने के बाद लघु उद्योग बैंक अपने विवेकानुसार, इसके लिए किसी प्रकार की बाध्यता के अधीन न होते हुए, निधि के खातों में अभिदाता के नाम जमा सभी रकमों पर अधिकतम और एक वर्ष के लिए ब्याज की अनुमति दे सकता है लेकिन यह तभी होगा यदि लघु उद्योग बैंक प्राप्ति हो जाए कि अभिदाता या उसके नामिती या नामितियों या विधिक प्रतिनिधियों प्रत्यास्थिति को ऐसी रकम का संदाय न किए जाने का कारण अभिदाता या उसके नामिती या नामितियों या विधिक प्रतिनिधियों प्रत्यास्थिति से स्तर पर हुआ व्यतिक्रम या भूल नहीं था।

(19) अभिदाता के नाम जमा राशि का भुगतान (1) अभिदाता:— के नाम जमा रकमें उसकी सेवा समाप्ति या उसकी मृत्यु होने पर संवेद्य हो जाएगी:

परन्तु यह कि कोई अभिदाता सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर है तो अपने विकल्प से इस निधि में उसके नाम जमा रकम में से अपनी राशि प्रत्याहृत कर सकता है जो इसके प्रभिदानों और उस पर लगे ब्याज से अधिक न हो:

परन्तु यह कि अभिदाता भी, जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिस विनियम 7 के छठ (iii) के उप-खंड (घ) अन्तर्गत इस निधि में प्रभिदान करने की अनुमति दी गयी है, लघु उद्योग बैंक अपने विवेकानुसार में 15 वर्ष की सेवापूर्ति पूरी होने पर किसी भी समय यदि प्राप्ति उप विनियम (ii) के छठ (ख) में विनिश्चित प्रयोजन के लिए है प्रथम 20 वर्ष की सेवा पूरी होने पर यदि प्राप्ति किसी अन्य प्रयोजनों के लिए है और सेवा निवृत्ति की तारीख से पूर्व अन्तर्गत 10 वर्ष

के होना या उसकी विनिश्चित प्रदायधि की समाप्ति कस तारीख को, यथास्थिति, उप विनियम (ii) (iii) और (iv) में दिए गए प्रयोजनों के लिए तथा उनमें निहित उपबंधों के अधीन इस निधि में उनके नाम जमा रकमों से उतनी राशि प्रार्थित करने की अनुमति दे सकता है, जिसे विनियम 20 में निश्चित किया गया है।

इसके प्रागे यह धोर कि यदि सघु उद्योग बैंक बोर्ड की समिति या सघु उद्योग बैंक का कोई अधिकारी जिसे कि समिति इस उद्देश्य से विनिश्चित करे तो ऐसे निदेश पर उम रकम में से करौनी की जा सकती है धोर सघु उद्योग बैंक को भुगतान किया जा सकता है—

(क) सघु उद्योग बैंक के प्रति अभिदाता द्वारा अपने ऊपर लिए गए ढाविश्व के अन्तर्गत देय कोई राशि जो उनके लेखे में सघु उद्योग बैंक द्वारा अंशदान की गई कुल राशि की सीमा तक है तथा जिसमें उसके संबंध में जमा किया गया व्याज भी शामिल है ;

या

(ख) जहा अभिदाता को कदाचार या पूर्ण लापरवाही के कारण सेवा से पदच्युत किया गया है या जहा अभिदाता ने अपनी निरंतर सेवा के प्रारंभ में पांच वर्ष के भीतर जिसमें अस्थायी सेवा भी शामिल है, सघु उद्योग बैंक के अपने रोजगार से त्याग पत्र दिया है, तो उस संबंध में व्याज सहित ऐसे अंशदानों की पूरी राशि अथवा उसका कोई भाग।

स्पष्टीकरण :

इन विनियमों के प्रयोजनार्थ विकास बैंक से स्थानांतरित कर्मचारी द्वारा की गई सेवा को सघु उद्योग बैंक में उसके द्वारा की गई सेवा समझा जाएगा।

(ii) (क) ऐसी शर्तों के अधीन जो सघु उद्योग बैंक द्वारा लगायी जा सकती है उप-विनियम (1) के दूसरे परन्तुक के अन्तर्गत रकम के प्रार्थन की अनुमति निम्नलिखित के लिए दी जा सकती है :

- (1) निम्नलिखित मामलों में अभिदाता पर बास्तब में आश्रित उसके किसी भी ऐसे अर्थ के उच्च शिक्षा का अर्थ पूरा करने के लिए जिरामें जहां आवश्यक हो यात्रा अर्थ शामिल है, जैसे—
 - (i) हाई स्कूल स्तर से प्रागे शैक्षिक, तकनीकी, व्यावसायिक या रोजगार पर पाठ्यक्रम के लिए भारत से बाहर शिक्षा के लिए, धोर
 - (ii) दस वर्ष के स्कूली अध्ययन के बाद किसी मान्यताप्राप्त संस्था द्वारा संबालित किसी डाक्टरी, इंजीनियरी, तकनीकी, व्यावसायिक या विशेषता संबंधी रोजगारपरक पाठ्यक्रम के लिए किसी डिप्लोमा/डिप्लोमा या प्रमाणपत्र के संबंध में है।
- (2) अभिदाता के स्वयं या अभिदाता के पुत्र या पुत्री धोर यदि उसकी कोई पुत्री नहीं है तो उस पर आश्रित अन्य किसी महिला रिश्तेदार के विवाह का अर्थ पूरा करने के संबंध में।
- (3) अभिदाता या उस पर बास्तब में कोई आश्रित कोई अन्य व्यक्ति की बीमारी का अर्थ पूरा करने के संबंध में जिसमें जहां कहीं आवश्यक हो यात्रा अर्थ भी शामिल है।

परन्तु यह कि अभिदाता अपने बिकल्प से उनके द्वारा दान-प्रकार प्रत्याहृत संपूर्ण रकम को या उनके किसी भाग को इस निधि में एकमुश्त मोटा सकता है।

(ख) खंड (ग) से (ब) तक उपबंधों के अधीन उप-विनियम (1) के दूसरे परन्तुक के अंतर्गत रकम के प्रत्याहृत की अनुमति निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए भी दी जा सकती है, जैसे :—

- (1) मकान या मकान के लिए साइट खरीदने हेतु ;
- (2) अभिदाता अथवा अभिदाता के पति/पत्नी या यथास्थिति उन दोनों के संयुक्त नाम पर होने वाले अर्थ पर मकान बनाने के लिए, ऐसे पति/पत्नी इन विनियमों के अंतर्गत एक नामांकित के रूप में हो

धोर ऐसा नामांकन प्रत्याहृत के लिए आवेदन की तारीख को अस्तित्व में हो ;

(3) ऐसी खरीद या मकान के हेतु, लिए गए अर्थ की प्रदायगी (जिसमें खरीदे गए मकान या साइट अथवा बने बनावे मकान की खरीद पर प्राप्त ऐसा अर्थ शामिल है) ;

(4) अभिदाता पहले से जिस मकान का स्वामी है या जिसे उसने अधिग्रहित किया है या परन्तुक मकान जिसमें अभिदाता पर लागू वैयक्तिक कानून के अंतर्गत अभिदाता का अंशदाता हित है, का पुनर्निर्माण या उसमें वृद्धि या परिवर्तन करने के लिए ;

(5) मकान या किसी साइट के अधिग्रहण के संबंध में स्टॉप गुल्क धोर रजिस्ट्रेशन अर्थ की अदायगी ;

परन्तु शर्त यह है कि सिवा ऐसे मामले में जो विनियम 19 के उप-विनियम (v) के अंतर्गत आता हो, प्रत्याहृतों की अनुमति एक मकान या साइट से अधिक मकान या साइट की प्राप्ति के लिए स्वीकृत नहीं की जाएगी।

(ग) खरीदा गया या बनाया गया मकान स्वयं अभिदाता के लिए होना चाहिए धोर साइट के मामले में यह स्वयं अभिदाता के मकान निर्माण के लिए होनी चाहिए, मकान या साइट ऐसे स्थान पर होगी, जहां अभिदाता कार्यरत है या ऐसे स्थान पर जिसके बारे में उसके लिखित रूप में सूचित किया है कि वह उस स्थान पर अपनी सेवा-निवृत्त के बाद रहना चाहता है।

(घ) जिस राशि के प्रत्याहृत कस अनुमति दी गई है वह प्रयोजन जिसके लिए ऐसी रकम प्रत्याहृत करने की अनुमति दी गई है, के संबंध में अर्पित राशि से अधिक नहीं होगी। बास्तब में अर्पित राशि से अधिक प्रत्याहृत राशि तत्पत्र वापस मोटानी होगी।

(ङ) अभिदाता ने किसी भी समय वह अर्पणा की जाएगी कि वह सघु उद्योग बैंक को जैसा कि उसके बैंक निश्चित करे उस प्रकार से निम्नलिखित मामलों में से किसी के लिए सघु उद्योगों बैंक को प्रार्थवत करे, जैसे

- (1) कि जिस राशि के प्रत्याहृत की मांग की गई है या अनुमति दी गई है वह बास्तब में उसी प्रयोजन के लिए अर्पित है, जिसके लिए इस प्रत्याहृत की मांग की गई है अथवा अनुमति दी गई है धोर इसका उपयोग ऐसे प्रयोजन के लिए किया गया है ;
- (2) कि जिस राशि, अन्य निधियों के साथ यदि कोई हो, जो अभिदाता को उपलब्ध है, के प्रत्याहृत की मांग की गई है या अनुमति दी गई है वह अर्थ अर्पण के लिए अर्पित है, जिसके लिए ऐसे प्रत्याहृत की मांग की गई है या अनुमति दी गई है ;
- (3) अभिदाता को उस साइट या मकान या जहां निर्माण ऐगो साइट पर किया जाना है, पर जो अभिदाता के पति/पत्नी या उन दोनों के संयुक्त नाम पर है, पूर्ण स्वत्व प्राप्त है या उनमें प्राप्त कर लिया है अथवा उस साइट या मकान के संबंध में वह पूर्ण स्वत्व प्राप्त कर लेगा तथा।
- (4) अभिदाता ने मकान के लिए आवश्यक सभी अनुमतियां धोर अनुमोदन प्राप्त कर लिए हैं या प्राप्त कर लेगा धोर अभिदाता ऐसी आवश्यकता को पूरा करेगा।

(च) यदि रकम का प्रत्याहृत मकान निर्माण के लिए है तो ऐसे मकान का निर्माण छट महीने या ऐसी समी अर्थ की समाप्ति से पूर्व शुरू किया जाएगा, जिसके लिए सघु उद्योग बैंक अनुमति देगा धोर ऐसी प्रत्याहृत रकम या उनके किसी अंश की अभिदाता द्वारा प्राप्ति की तारीख से अठारह महीनों या ऐसी समी अर्थ की समाप्ति पर वह पूर्ण किया जाएगा, जिरामें लिए सघु उद्योग बैंक अनुमति देगा।

(घ) यदि प्रत्याहरण किसी ऋण की प्रदायगी के लिए है तो ऐसी प्रदायगी प्रत्याहरण की रकम या उसके किसी भाग की प्रतिभूता द्वारा प्राप्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर की जाए।

(ज) यदि प्रत्याहरण मकान निर्माण के प्रयोजनार्थ है, तो जिग टागि के प्रत्याहरण के लिए अनुमति दी गई है, उसका भूगतान मकान निर्माण में की गई प्रगति को ध्यान में रखकर इतनी किस्त मंज्याओं और इतने समय तक किया जाएगा, जो कि सड़क उद्योग बैंक अधिभारित करेगा।

(झ) प्रतिभूता सड़क उद्योग बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना स्थल प्रदाता मकान का हस्तांतरण नहीं करेगा, उसे बंधक नहीं रखेगा या अन्यथा सश्रुत नहीं करेगा, व्यक्तिगत की स्थिति में प्रतिभूता प्रत्याहरित संपूर्ण राशि को प्रदायगी एक किस्त में करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(ञ) प्रतिभूता अपनी इच्छा से उसके द्वारा प्रत्याहरित संपूर्ण रकम या उसका कोई भाग इस विधि में लौटा सकता है।

(iii) उप-विनियम (ii) के प्रयोजनार्थ "मकान की खरीद" प्रति-
बन्धित में निम्नलिखित शामिल हूँगे—

(क) एक सहकारी प्राथमिक सोसायटी के सदस्य के रूप में, चाहे ऐसी सोसायटी में शेयर खरीद कर प्रदाता इस सोसायटी द्वारा प्राबंठित रिहायगी आवास के संबंध में ऐसी सोसायटी के पाम रकम जमा करके अधिग्रहण; और

(ख) किसी प्राथमिक बोर्ड, नगर मुखार न्याय या अन्य समान प्राधि-
करण से, जिनका पटन या स्थापना इस समय लागू किसी कानून के अन्तर्गत की गयी हो, एक रिहायगी आवास या परि-
सर की किराया खरीद या अन्यथा आधार पर खरीद;

तथा उप-विनियम (ii) के खंड (ग), (घ), (ङ) (1),
(च) (2), (झ) और (ञ), जहाँ तक संभव हो, ऐसे अधिग्रहण या खरीद के लिए प्रत्याहरणों पर तदनुसार लागू होंगे।

(iv) उप-विनियम (iii) के माथ पठित उप-विनियम (ii) के अन्त-
र्गत यदि प्रत्याहरण की अनुमति दी गई है तो निम्नलिखित
शर्तें लागू होंगी

(क) प्रतिभूता से अपेक्षा की जा सकती है कि वह सड़क उद्योग बैंक
को इस बात के लिए आश्वस्त करे कि उसने संबंधित सहकारी प्राथमिक
सोसायटी में शेयरों का हक प्राप्त कर लिया है या उसके दस्तावेज प्राप्त
कर लिए हैं, जो उस सोसायटी में रत्नों के जमा करने का प्रमाण है
अथवा उसने दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं, जो इस समय लागू कानून
के अन्तर्गत या स्थापित प्राथमिक बोर्ड, नगर मुखार न्याय अथवा अन्य
ऐसे प्राधिकरण से किराया खरीद आधार पर या अन्यथा खरीदे गए
रिहायगी आवास या परिवर पर उसके अधिभार का प्रमाण है।

(ख) प्रत्याहरण की रकम या उसके किसी भाग की प्रतिभूता द्वारा
प्राप्ति की तारीख से छः महीने या ऐसी लम्बी अवधि की समाप्ति से
पहले, जो कि सड़क उद्योग बैंक स्वीकृत करेगी, सदस्य रिहायगी आवास
प्राप्त करेगा।

(ग) इन शर्तों की इतनी किस्तों और ऐसे समय पर प्रत्याहरण की
अनुमति दी जाएगी, जो सड़क उद्योग बैंक निर्धारित करेगी।

(घ) सड़क उद्योग बैंक की पूर्व-लिखित अनुमति के बिना प्रतिभूता उन
प्राबंठित रिहायगी आवास से संबंधित ऐसे शेयर या शेयरों जमा राशि या
अपने हितों का हस्तांतरण, समनुदेयन नहीं करेगा अथवा उन पर कोई
ऋणभार नहीं डालेगा, व्यक्तिगत की स्थिति में प्रतिभूता की यह जिम्मे-
दारी होगी कि यह प्रत्याहरित संपूर्ण राशि की तापनी तदनुसार एक किस्त
में करे।

(v) इन विनियमों के अन्तर्गत प्रत्याहरित रकम की सहायता से
प्रतिभूता ने, जो आवास प्राप्त किया है उसके किसी भी हित
की, चाहे जो भी हो, हस्तांतरण, समनुदेयन या उस पर किस्त

की अधिभार के मूजन करने की स्थिति में, ऐसे हस्तांतरण
समनुदेयन या हित के मूजन करने पर, बर्बाद, उनके द्वारा
प्रत्याहरित संपूर्ण राशि सड़क उद्योग बैंक को तुरंत लौटानी
होगी।

परन्तु यदि ऐसे हस्तांतरण, समनुदेयन या हित का
मूजन सड़क उद्योग बैंक की अनुमति से किया जाता है और
प्रतिभूता ने सड़क उद्योग बैंक को प्रत्याहरित रकम लौटा दी
है तो वह इन विधि से इन विनियमों के अन्तर्गत के अधीन
नये नियमों में रकम के प्रत्याहरण का पात्र होगा।

(20) रकम प्रत्याहरण के संबंध में सीमाएं और शर्तें (i) इस विधि
में उनके नाम जमा राशि से विनियम 19 के खंड (क), या उप-विनियम
(ii) के खंड (ख) के उप-खंड (4) में उल्लिखित एक या अधिक प्रयो-
जनों के लिए किसी भी समय प्रतिभूता द्वारा प्रत्याहरित कोई भी रकम
समाप्त: उसके वास्तविक प्रतिभूताओं और उन पर लगे ब्याज या छः महीने
के बचन (बचन जैसा कि उनका परिभाषा विनियम 9 में दिए गए अन्वयो-
करण में दी गई है), इनमें जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। तदति,
गम्भीरता देने वाला प्राधिकारी इस सीमा से अधिक (i) उद्देश्य
जिनके लिए रकम प्रत्याहरित की जा रही है, (ii) प्रतिभूता की हैमिजन
और (iii) इन विधि में उनके स्वयंके प्रतिभूताओं और उन पर लगे
ब्याज का ध्यान में रखकर इन विधि में उनके खंड के प्रतिभूता और उन
पर लगे ब्याज के 3/4 की सीमा तक प्रत्याहरण के लिए संजुगे दे सकता
है।

(ii) विनियम 19 के उप-विनियम (ii) के खंड के (ख) के अन्तर्गत
(उप-खंड के उप-खंड (4) के अन्तर्गत) प्रतिभूता द्वारा प्रत्याहरित कोई
भी राशि उनके अपने प्रतिभूताओं और उन पर लगे ब्याज से अधिक नहीं
होगी।

परन्तु यह कि ऐसे मामले में जहाँ प्रतिभूता पत्नी जो दोनों, सड़क
उद्योग बैंक के कर्मचारी है और इस विधि में प्रतिभूता कर रहे है तथा
एक दूसरे के नामांकित है, अधिम और प्रत्याहरण की पूरा राशि, जो कि
दोनों में से किसी एक के नाम पर मकान प्राप्त करने के लिए उन दोनों
में से किसी एक के नाम पर मकान प्राप्त करने के लिए उन दोनों द्वारा
प्राप्त की जा सकती है, वह ऐसी राशि से अधिक नहीं होगी जिनका
विनिर्देशन सड़क उद्योग बैंक द्वारा समय-समय पर अकेले प्रतिभूता को उपलब्ध
करने के लिए किया जाए।

(iii) प्रतिभूता जिसे विनियम 19 के उप-विनियम (ii) के अन्तर्गत
उन विधि से प्रत्याहरण की अनुमति दी गई है, वह सड़क उद्योग बैंक द्वारा
जैसा विनिर्दिष्ट किया जाएगा उन अनुमति अवधि के भीतर सड़क उद्योग
बैंक को आश्वस्त करेगा कि यह धन उगी प्रयोजन के लिए इस्तेमाल
किया गया है जिसके लिए यह निकाला गया था और यदि वह ऐसा नहीं
करता तो इस प्रकार प्रत्याहरित संपूर्ण रकम या उसमें से इतनी रकम जो
कि उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए यह प्रत्याहरित की गई थी प्रयुक्त
नहीं की गई है, मुख्यतः इस विधि के प्रतिभूता द्वारा विनियम 13 के अन्तर्गत
प्राबंठित पर पर उन पर लगे ब्याज सहित एकमुस्त रूप में तत्काल
अथवा जो आगे और पूर्व भूगतान के प्रा. न किए जाते पर सड़क उद्योग
बैंक यह आदेश देगा कि यह उनका परिणामियों को जो एकमुस्त रूप
में या इनमें किस्तों में, जिनका निर्धारण सड़क उद्योग बैंक करेगा, बसूत की
जाएगी।

(21) अधिम या प्रत्याहरण में परिवर्तन : प्रतिभूता जिसे विनियम
13 या 16 के अन्तर्गत उनसे विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी के लिए
प्राथमिक स्थापित किया गया है, उसे सड़क उद्योग बैंक द्वारा विनियम 19 के
अन्तर्गत उस विनियम में निर्धारित लक्ष्य शर्तों को उसके द्वारा पूरा करने
पर बर्बाद अधिम की प्रत्याहरण में बदलने की अनुमति दी जा सकती
है।

(22) ज़कियों के प्रत्यायोजन संबंधी संस्वीकृति प्राधिकारी और उनका प्रत्यायोजन (i) प्रस्तावक ऐसी शर्तों के अधीन, जो ये लगाना उचित समझते हों, सप्ट उद्योग बैंक के विधि अधिकारी को, जिसे वे इस संबंध में विनिर्दिष्ट करें, विनियम 5 और विनियम 7(iii) (ख) के परन्तुक द्वारा प्रदान ज़कियों को छोड़कर इन विनियमों द्वारा उन्हें प्रदान ज़कियों में से मही या किसी ज़कियों का प्रत्यायोजन कर सकते हैं।

(ii) उप-विनियम (i) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने बिना

(क) विनियम 15 या विनियम 16 के अंतर्गत अधिदाता के छह महीने के बेटन या अधिदाता के अपने खुद के अधिदातों और उन पर लगे ब्याज का प्राधा, इनमें जो भी अधिक हो, तक का अधिम महा प्रबंधक द्वारा मंजूर किया जा सकता है और इस विनियम के अंतर्गत अन्य कोई अधिम कार्यपालक निदेशक या प्रबंध निदेशक द्वारा मंजूर किया जा सकता है।

(ख) विनियम 19 के उप-विनियम (i) के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत प्रत्याहरण महा प्रबंधक द्वारा मंजूर किये जा सकते हैं।

(ग) विनियम 19 के उप-विनियम (i) के दूसरे परन्तुक के अंतर्गत अधिदाता के छह महीने के बेटन या अधिदाता के अपने खुद के अधिदातों और उन पर लगे ब्याज की प्राधी रकम का प्रत्याहरण, इनमें से जो भी अधिक हो, के लिए मंजूरी महा प्रबंधक द्वारा दी जा सकती है और इस विनियम के अंतर्गत अन्य किसी प्रत्याहरण के लिए मंजूरी कार्यपालक निदेशक या प्रबंध निदेशक द्वारा दी जा सकती है।

(iii) इस विनियम के प्रयोजनार्थ —

(क) "महा प्रबंधक" में उन महा प्रबंधक और प्रबंधक भी शामिल हैं।

(ख) "बेटन" से बही अधिप्राय है जो विनियम 9 के स्पाटीकरण में दिया गया है।

(23) नामांकन (i) प्रत्येक अधिदाता इन विनियमों के साथ जुड़े प्रत्येक 2 में अपने परिवार के उन एक या एक से अधिक सदस्यों को नामांकित करेगा, जिन्हें उसकी मृत्यु हो जाने पर उनके नाम जमा राशि संदेय हो जाए। अधिदाता जिसका अपना परिवार नहीं है, वह इन विनियमों के साथ जुड़े प्रत्येक 3 में एक व्यक्ति को नामांकित करेगा परन्तु शर्त यह है कि ऐसा नामांकन तब तक वैध होगा जब तक अधिदाता विवाहित नहीं हो जाता और यदि कोई सदस्य बाद में घर बसा लेता है तो वह औपचारिक तौर पर पहला नामांकन रद्द कर देगा और प्रत्येक 2 में परिवार के एक सदस्य का नामांकन करेगा।

परन्तु यह कि स्वतंत्रतः कर्मचारी द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कर्मचारी अधिप्य निधि के अंतर्गत किया गया नामांकन इस विनियम के अंतर्गत किया गया नामांकन समझा जाएगा।

(ii) अधिदाता की निधि में जो रकम जमा हो, उसका वितरण वह अपने नामांकन में स्वबिदेकानुसार अपने नामितियों के बीच कर सकता है।

(iii) अधिदाता नामांकन को रद्द भी कर सकता है और उसके स्थान पर कोई दूसरा नामांकन कर सकता है, जिसकी अनुमति इस विनियम के अंतर्गत दी जाती है।

(iv) कोई भी नामांकन या रद्दकरण की सूचना तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि वह सप्ट उद्योग बैंक के प्रधान कार्यालय में अधिदाता के सप्ट उद्योग बैंक की सेवा में होने के दौरान प्राप्त न हो जाए और इस निधि के खातों में पंजीकृत न कर ली जाए।

(v) उप-विनियम (iii) के अंतर्गत पिछला नामांकन रद्द करने के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने बिना अधिदाता इस विनियम के अंतर्गत उसके द्वारा किए गए प्रत्येक नामांकन के साथ सप्ट उद्योग बैंक के प्रधान कार्यालय को रद्दकरण की एक आकस्मिक सूचना भेजेगा, जो कि परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त इन विनियमों के साथ जुड़े प्रत्येक (4 और 5) में से किसी एक प्रत्येक में होगी।

स्पाटीकरण I

इस विनियम और विनियम 25 के अंतर्गत "परिवार" में अधिप्राय है अधिदाता की पत्नी या परिण्या, या पति और बच्चे तथा अधिदाता के मृत पुत्र की विधवा या विधवाएं और बच्चे:

परन्तु यह कि यदि अधिदाता यह प्रमाणित कर देता है कि उसकी पत्नी व्यक्तिगत रूप से उतने पृथक हो गई है अथवा उस समुदाय के कठिनाय कानून के अंतर्गत, जिसके साथ उसका संबंध है, अरण्य-योजन की दृष्टिकार नहीं रह गई है तो वह परिवार की सदस्य तब तक नहीं समझी जाएगी जब तक कि अधिदाता बाद में प्रस्तावकों को लिखित रूप में स्पष्ट अधिसूचना द्वारा सूचित न करे कि उसे उसी प्रकार समझा जाता रहेगा;

अथवा यह और भी कि यदि कोई अधिदाता प्रस्तावकों को लिखित रूप में स्पष्ट अधिसूचना द्वारा अपनी वह इच्छा अधिप्यवत करता है कि उसके पति को उसके परिवार में शामिल न किया जाए तो पति तब तक उसके परिवार का सदस्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि अधिदाता बाद में औपचारिक तौर पर लिखित रूप में या अधिसूचना द्वारा उसे शामिल न करने की उम अधिसूचना को रद्द न कर दे।

अथवा और यह कि ऐसे मामलों में जहां अधिदाता को निर्वाचित करने वाले बैदकित कानून द्वारा दत्तक को मान्यता दी जाती है वहां ऐसे दत्तक को पुत्र/पुत्री समझा जाएगा।

स्पाटीकरण II

इस विनियम के प्रयोजनार्थ "व्यक्ति" में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय अधिकरण, कंपनी, संघ अथवा व्यक्तियों का निकाय चाहे वह निगमित हो या न हो अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जिसे पद के आधार पर नामोद्दिष्ट किया गया है, शामिल है।

(24) कुछ मामलों में अधिदाता का नामांकन—विनियम 23 में दी गई किसी बात के होते हुए भी अधिदाता किसी भी ऐसे व्यक्ति को नामांकित कर सकता है जिसे अधिप्य निधि अधिनियम, 1925 के अंतर्गत अधिदाता के रूप में परिभाषित किया गया है, यदि सप्ट उद्योग बैंक इस बात से आश्चर्य है कि उक्त विनियम के अनुसार नामांकन करने अथवा उसके बनाए रखने से भारी कठिनाइयां पैदा जाएंगी अथवा यह स्वायत्तत और साम्यापूर्ण नहीं होगा ऐसा नामांकन इन विनियमों के साथ लगे प्रत्येक 6 में किया जाएगा।

(25) अधिदाता की मृत्यु पर मुवतान—अधिदाता की मृत्यु होने पर—

(1) यदि अधिदाता परिवारपीछे छोड़ता है—

(क) यदि अधिदाता द्वारा इन विनियमों के अनुसार किया गया नामांकन अपने परिवार के किसी सदस्य अथवा सदस्यों के पक्ष में मौजूद है तो इस निधि में उसके नाम जमा राशि अथवा उधका कोई भाग, जिससे वह नामांकन संबंधित है, नामांकन में विनिर्दिष्ट अनुपात में नामांकितों या नामांकितियों को संदेय हो जाएगा;

(ख) यदि अधिदाता के परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों के पक्ष में ऐसा नामांकन विद्यमान नहीं है अथवा यदि ऐसा नामांकन इस निधि में उसके नाम जमा राशि के केवल एक भाग से संबंधित है तो संपूर्ण राशि या उसका कुछ भाग, अथास्थिति, जिससे नामांकन संबंधित नहीं है, उसके परिवार के एक सदस्य या सदस्यों के मित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में नामांकन के तात्पर्य होते हुए भी, उनके परिवार के सदस्यों के बीच समान हिस्सों में संदेय हो जाएगा—

परन्तु यह कि कोई भी हिस्सा निम्नलिखित को संदेय नहीं होगा—

(1) पुत्र को वध रूप से बचस्क हो गए हों;

(2) मृत पुत्र के पुत्र जो वध रूप से बचस्क हो गए हों;

- (3) विवाहित पुरुषों जिनके पति जीवित हों;
 (4) मृत पुत्र की विवाहित पत्नियाँ जिनके पति जीवित हों;

यदि परिवार में खंड (1), (2), (3) और (4) में उल्लिखित में मिय कोई अन्य सदस्य है :

परन्तु यह कि मृत पुत्र की विधवा प्रथवा विधवायें और बच्चा अथवा बच्चे समान हिस्सों में वही हिस्सा प्राप्त करेंगे, जो पुत्र प्राप्त करता, अगर वह अभिदाता का उत्तराधिकारी होता और ऐसे मामले में, जहाँ वह अभिदाता का उत्तराधिकारी होता तो उसे प्रथम परंतुक के खंड (1) के अंतर्गत हिस्से से वंचित रखा जाता, उसे इस प्रकार वंचित नहीं रखा गया ।

परन्तु प्रागे और यह कि यदि विनियम 24 के अंतर्गत कोई नामांकन किसी या किन्हीं अभिहित प्रथवा अभिहितों के पक्ष में बना रहता है तो अभिदाता के नाम जमा राशि प्रथवा उसके किसी भाग, जिससे वह नामांकन संबंधित है, इस उपखंड में दी गई किसी बात के होने हुए भी, नामांकन में विनिश्चित अनुपात में नामांकित प्रथवा नामांकितियों को संदेय हो जाएगा ।

(ii) यदि अभिदाता अपने पीछे कोई परिवार नहीं छोड़ता है—

(क) यदि इन विनियमों के अनुसार अभिदाता द्वारा किया गया कोई नामांकन किसी या किन्हीं व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में बना रहता है, जो कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 2 के खंड (ग) में दी गई परिभाषा के अनुसार अभिदाता का अभिहित है या अभिहित हैं तो इस निधि में उसके/उनके नाम जमा राशि या उसका कोई भाग, जो नामांकन से संबंधित है, जैसी भी स्थिति हो, इस नामांकन में विनिश्चित अनुपात में उसके नामांकित प्रथवा नामांकितियों को संदेय हो जाएगा ।

(ख) यदि ऐसा कोई नामांकन भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 2 के खंड (ग) में दी गई परिभाषा के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में है जो अभिहित नहीं है तो उसके

नाम निधि में जमा राशि या उसका कोई भी भाग, जिससे नामांकन संबंधित है, यथास्थिति, उस नामांकित को संदेय हो जाएगा यदि वह राशि पांच हजार रुपये से अधिक नहीं है;

(ग) यदि ऐसा कोई नामांकन विद्यमान नहीं है या ऐसा नामांकन इस निधि में अभिदाता के नाम जमा राशि के केवल एक भाग से संबंधित नहीं है किसी भी ऐसे व्यक्ति को संदेय हो जाएगा जो प्रणामकों के समक्ष उपस्थित होकर उसके प्राप्त करने का प्रस्ताव हकदार होता । यदि ऐसी संपूर्ण रकम या उसका भाग, यथास्थिति, पांच हजार रुपये से अधिक नहीं है ;

(घ) कोई रकम प्रथवा उसका कोई भाग जो कि उप-खंड (क), (ख), (ग) के अंतर्गत किसी व्यक्ति को संदेय नहीं है किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रोबेट या प्रशासन-युक्त, जो मृतक की सम्पदा को उसके द्वारा प्रशासन करने संबंधी स्वोच्छति का प्रमाण होगा प्रथवा भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 4 के खंड (ग) के अनुसार उत्तराधिकार का प्रमाण प्रस्तुत करने पर संदेय हो जाएगा ।

टिप्पणी:—

जब कोई नामांकित या अन्य व्यक्ति, भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 2 के खंड (ग) में दी गई परिभाषा के अनुसार अभिदाता का अभिहित है तो इन विनियमों के अंतर्गत ऐसे नामांकित या अन्य व्यक्ति को संदेय राशि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत उस अभिहित को प्रदान की जाएगी ।

(26) अभिदाताओं द्वारा निष्पादित किया जाने वाला करार—प्रबंधक कर्मचारी इस निधि का अभिदाता बनने पर इसके साथ अनुबद्ध भविष्य निधि प्रपत्र 1 में एक करार निष्पादित करेगा ।

परन्तु यह कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियमों के प्रयोजनार्थ स्थानांतरित कर्मचारी द्वारा निष्पादित कोई भी इस प्रकार का करार इस विनियम के प्रयोजनार्थ निष्पादित करार समझा जाएगा ।

भविष्य निधि प्रपत्र 1

करार का प्ररूप

विनियम 26

स्थान

दिनांक _____

सेवा में

प्रशासक,

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,

कर्मचारी भविष्य निधि

महानुभाव,

मैं घोषित करता/करती हूँ कि मैंने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 1990 को पढ़ और समझ लिया है और उक्त विनियमों के अनुसार अभिदान करने और इनसे प्रभाव होने पर सहमत हूँ ।

पूरा नाम _____

जन्म तारीख _____

पद का स्वरूप _____

मासिक वेतन _____

गवाह :

हस्ताक्षर : _____

पदनाम _____

पता _____

भबदीय

(हस्ताक्षर)

सूची सं. _____

भविष्य निधि प्रपत्र 2

नामांकन प्ररूप यदि अभिदाता का कुटुंब है

विनियम 23 (i)

भूची सं. _____
 नाम _____
 स्थान _____
 तारीख _____

सेवा में
 प्रशासक,
 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,
 कर्मचारी भविष्य निधि
 महानुभाव,

मैं निदेश देना/देती हूँ कि मेरी मृत्यु होने पर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी भविष्य निधि में मुझे संदेय राशि मेरे परिवार के सदस्यों के बीच उनके नाम के प्राप्ति तौर पर उनके अनुसार विनियम 23 (i) के अनुसार विनियमित की जाए :

नामांकितों या नामांकितियों के नाम और पता अभिदाता के साथ संबंध नामांकितों की प्राप्ति संबंधित निधि की राशि या हिस्सा

1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

गवाह :

(1) _____

पदनाम _____

पता _____

(2) _____

पदनाम _____

पता _____

मैंने अभिदाता के हस्ताक्षर
 सत्यापित किए

हूँ प्रबंधक

टिप्पणी :

कालम 4 इस प्रकार भरा जाए ताकि सम्पूर्ण राशि इसमें शामिल हो सके।

भविष्य निधि प्रपत्र 3

अभिदाता का कुटुंब न होने पर भरे जाने वाले नामांकन का प्ररूप

विनियम 23 (i)

भूची सं. _____
 नाम _____
 स्थान _____
 तारीख _____

सेवा में

प्रशासक,

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,

कर्मचारी भविष्य निधि

महानुभाव.

मैं घोषित करता/करती हूँ कि मेरा परिवार नहीं है और निदेश देता/देती हूँ कि मेरी मृत्यु होने पर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी भविष्य निधि में मुझे संबन्ध राजि मेरा परिवार न करने की स्थिति में नीचे उल्लिखित व्यक्तियों के बीच मेरा नाम के ग्रामे लीज दिए गए तरीके के अनुसार वितरित हो जाए:

नामांकित व्यक्ति या नामांकितियों के नाम तथा पता	अभिदाता के पत्न्य/पति नामांकितों का पता पता है	संविन निधियों के हिस्से की राशि
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

भवदीय

(हस्ताक्षर)

गवाह:

(1) _____

पदनाम _____

पता _____

(2) _____

पदनाम _____

पता _____

मैंने अभिदाता के हस्ताक्षर सत्यापित किए

हूँ प्रबंधक

टिप्पणी: कालम 4 इस प्रकार भरा जाए ताकि संपूर्ण राशि इसमें शामिल हो सके।

भविष्य निधि प्रपत्र 4

रद्दकरण की आकस्मिक सूचना

विनियम 23 (V)

(यदि नामांकन अभिदाता के परिवार के एक या अधिक सदस्यों के पक्ष में हो)

जब कमी में उचित समझूंगा/समझूंगा मैं अपने द्वारा किए गए नामांकन को रद्द करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 1990 के विनियम 23 के उप विनियम (iii) के अन्तर्गत अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मैं एतद्वारा सूचित करता/करती हूँ कि इसके अन्तर्गत नामांकित व्यक्ति/व्यक्तियों में से किसी की मृत्यु से पूर्व मृत्यु हो जाने पर उक्त नामांकन जहां तक ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों में से किसी को प्रदत्त अधिकारों का संबंध है, तत्क्षण रद्द समझे जाएंगे।

19-____के _____महानुभाव को _____तारीख को _____में

हस्ताक्षर के दो गवाह:

1-_____

2-_____

अभिदाता के हस्ताक्षर

भविष्य निधि प्रपत्र 5

रद्दकरण की आकस्मिक सूचना

विनियम 23 (V)

(यदि नामांकन एक या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में है या अभिदाता के परिवार के सदस्य न हो)

जब कभी मैं उचित समझूंगा/समझूंगी मेरे द्वारा किए गए नामांकन को रद्द करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 1990 के विनियम 23 के उप विनियम (iii) के अन्तर्गत अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने विना मैं सूचित करना/करती हूँ कि इसके अन्तर्गत नामांकित व्यक्ति/व्यक्तियों में से किसी को मुझे मेरे पूर्व मृत्यु होने पर उक्त नामांकन जहां तक मेरे व्यक्ति/व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को प्रदत्त अधिकारों का संबंध है, तत्क्षण रद्द हो जाएगा।

19-____-____ के _____ महीने की _____ तारीख को _____ में

अभिदाता के हस्ताक्षर _____

हस्ताक्षर के दो गवाह :

- 1. _____
- 2. _____

भविष्य निधि प्रपत्र 5

अभिदाता द्वारा भरा जाना वाला ऐसा नामांकन जब उमका कुटुंब हो परन्तु वह विनियम 24 की शर्तों के अनुसार आश्रित को नामांकित करना चाहता है।

सूची में _____
 नाम _____
 स्थान _____
 तारीख _____

मेवा में
 प्रशासक,
 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,
 कर्मचारी भविष्य निधि
 महानुभाव,

मैं निदेश देता/देती हूँ कि मेरी मृत्यु होने पर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी भविष्य निधि में मुझे संबन्धित राशि नीचे उल्लिखित मेरे आश्रितों के बीच उनके नाम के आगे दिए गए तरीके के अनुसार वितरित की जाए :—

नामांकित या नामांकितियों के नाम और पता	अभिदाता के साथ संबंध	नामांकित की आयु	संचित निधियों की राशि या हिस्सा	जब अभिदाता का कुटुंब हो तो आश्रित को नामांकित करने के कारण
1	2	3	4	5

भवदीय,

 (हस्ताक्षर)

गवाह :
 (1) _____
 पदनाम _____
 पता _____

(2) _____
 पदनाम _____
 पता _____

मेरे अभिदाता के हस्ताक्षर सत्यापित किए

 मुने प्रबंधक

टिप्पणी :

कालम 4 इस प्रकार भरा जाए ताकि संपूर्ण राशि इसमें शामिल हो सके।

भविष्य निधि प्रपत्र 7

अतिरिक्त अभिदान की दर निर्धारण का प्ररूप

विनियम 9 (ii)

स्थान _____

तारीख _____

प्रबंधक,

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

महोदय,

मैं एनद्वारा अनुरोध करता/करती हूँ कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 1990 के विनियम 9 (ii) की शर्तों के अनुसार भविष्य निधि में मेरे स्वच्छिक अतिरिक्त अभिदान के रूप में मेरे वेतन का _____ प्रतिशत काट लिया जाए। मेरे वेतन से इस प्रकार की पहली कटौती _____ 19 _____ से की जाए।

भवदीय,

_____ (हस्ताक्षर)

नाम _____

पदनाम _____

सूची सं. _____

भविष्य निधि प्रपत्र 8

(अभिदान की दर नियत करने का प्ररूप)

विनियम 9 (i)

स्थान _____

तारीख _____

प्रबंधक,

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

महोदय,

मैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियम के विनियम 9 (i) के अन्तर्गत निवेश देता/दती हूँ कि भविष्य निधि में मेरे अभिदान के रूप में प्रतिमास मेरे वेतन का _____ प्रतिशत काट लिया जाए।

भवदीय,

_____ (हस्ताक्षर)

नाम _____

पदनाम _____

सूची सं. _____

टिप्पणी :

प्रार. एम. अणुवाल, प्रबन्ध निदेशक

प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 31 अगस्त, 1990 के अपने पत्र द्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 1990 को अनुमोदन प्रदान किया है।

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK
OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 1990

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK
OF INDIA

INDIA

[EMPLOYEES' PROVIDENT FUND]

REGULATIONS, 1990

No. 3590/P.F.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (d) of sub-section (2) of section 52 of the Small Industries Development Bank of India Act, (39 of 1989), the Board, with the previous approval of the Development Bank, hereby makes the following Regulations:

(1)(i) These Regulations may be called the Small Industries Development Bank of India (Employees Provident Fund) Regulations, 1990.

(ii) These Regulations will come into force on the day of 1990.

(2) Definitions.—in these Regulations, unless there is anything repugnant in the subject or context—

(i) "Act" means the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989);

(ii) "Administrators" means the Administrators of the Fund;

(iii) "Managing Director" means the Managing Director of the Small Industries Bank;

(iv) "Fund" means the fund constituted under Regulation 3;

(v) "Transferred Employee" means a person who has become a member of the Staff of the Small Industries Bank in terms of sub-section (2) of Section 33 of the Act but does not include a person who has elected to go back to the Development Bank within a period of nine months from the appointed day,

(vi) words and expressions used, but not defined, in these Regulations and used in the Act have the meaning respectively assigned to them for the purpose of the Act.

(3) Constitution.—A fund shall be created called "The Small Industries Development Bank of India Employees Provident Fund".

(4) Administration.—The Fund shall be held by the Small Industries Bank and shall be administered by a committee of Administrators consisting of the Managing Director, two other Directors nominated by the Board, one Executive Director or General Manager and three persons, one of whom shall represent the officers, the second the clerical staff and the third the staff in the subordinate services, all the four to be nominated by the Managing Director. Without prejudice to the specific powers conferred on them under the various Regulations, the Administrators of the Fund shall be entitled to exercise all powers and to do all acts and things on behalf of the Fund under these Regulations.

(5) Meeting of Administrators.—At every meeting of the Administrators, the Managing Director or, in his absence the Executive Director or one of the nominated Directors shall preside. The presence of at least three Administrators of whom one shall be the Managing Director or the Executive Director or one of the nominated Directors shall be necessary to form a quorum for the transaction of business. Each Administrator shall have one vote and in all cases of an equal division, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.

(6) Statement of Accounts.—The accounts of the Fund shall be made up yearly as at the 31st March and an audited statement of the accounts as at that date will be submitted to a meeting of the Administrators by 31st August or such later date as may be permitted by the Administrators in every year and a copy of such statement shall be made available to the subscribers at each office and branch as soon as may be possible after such meeting.

(7) Membership for whom compulsory.—(i) Every permanent employee of the Small Industries Bank shall be bound to subscribe to the Fund.

(ii) An employee appointed on probation to a post in which, if confirmed, he will become a permanent employee, shall be deemed to be a permanent employee for the purpose of these Regulations from the date of his first appointment.

(iii) (a) a temporary employee, other than an employee who is already contributing to some other provident fund, may subscribe to the fund, if so permitted by the Administrators.

(b) Any other person in receipt of remuneration, other than casual remuneration, from the Small Industries Bank may also subscribe to the Fund, if so permitted by the Administrators.

Provided that where any sum is standing to the credit of such person in the Fund and has become payable to him by reason of the provisions of Regulation 19, such sum may, in exceptional cases, if so permitted by the administrators, continue to stand to his credit in the Fund for such time as he is in receipt of remuneration other than casual remuneration from the Small Industries Bank, and interest shall, notwithstanding anything contained in Regulation 18, accrue on such sum.

(iv) On the creation of the Fund under Regulation 3, every transferred employee shall be deemed to have become a member of the Fund and he shall be bound to contribute to the Fund in accordance with these regulations.

8 (i) The balance standing to the credit of every Transferred Employee in the Industrial Development Bank of India Employees' Provident Fund shall stand transferred to the fund and same shall be credited to his account with the fund.

(ii) The administrators may, at the request of any employee required or permitted under Regulation 7, to subscribe to the Fund, receive to the credit of such employee any amount due to him from a Provident Fund account maintained by his former emp-

loyer and transferred by the said employer directly to the Fund.

(iii) The Small Industries Bank shall not be required to make any contribution in respect of any amount paid into the Fund under this Regulation.

(iv) In case any arrears pay or allowances become payable to any category of employees of the Small Industries Bank and a decision is taken by the Small Industries Bank that such arrears or part thereof, as the case may be, shall not be disbursed in cash but should be credited to the Provident Fund Accounts of the employees concerned, the Administrators shall, at the request of the Small Industries Bank, receive to the credit of such employees the amount to be so credited to their Provident Fund Accounts.

Provided that the Small Industries Bank shall not be required to make contribution in respect of any amounts so paid into the Fund.

(v) Notwithstanding anything to the contrary contained in these Regulations, till such time an associate institution establishes its own provident fund after framing the necessary regulations or rules, as the case may be the Administrators may, in their discretion, receive subscriptions from persons who are employees of associate institutions and contributions on their behalf by the employer-associate institutions and retain such subscriptions and contributions and maintain and continue to maintain their accounts in the Fund and the powers in respect of such accounts may be exercised by the Administrators, or such persons as may be nominated by the Administrators in this behalf, notwithstanding that such subscribers may not be or may have ceased to be employees of the Small Industries Bank.

Explanation:

For the purpose of this Regulation, an institution shall be deemed to be an 'associate institution', if in the capital of such institution the Small Industries Bank holds or held not less than 40 per cent share.

(9) Rate of subscription.—(i) The rate of subscription shall, as from the date on which the subscriber commences to subscribe, be fixed by the subscriber himself at not more than 10 per cent nor less than 5 per cent of his pay.

(ii) In addition to the subscription made under sub-Regulation (i) any subscriber may make to the fund a subscription of an amount upto the pay minus the amount subscribed under Regulation 9(i) but not less than 5 per cent of his pay.

(iii) Every person subscribing to the Fund under sub-regulation (ii) shall give a notice to the Small Industries Bank specifying the rate of subscription in provident Fund from 7 annexed hereto.

(iv) Such subscriptions shall be deducted by the Small Industries Bank from his monthly pay in amounts calculated to the nearest rupee. The rate of subscription within these limits when once fixed by the subscriber can be altered only after written intimation of his desire to do so has been given by him, not less than one calendar month in advance to the officer responsible for paying him.

Explanation :

In this Regulation, the expression 'pay'

(i) includes substantive pay, special pay, personal pay, special personal pay, overseas pay and officiating pay,

(ii) does not include any allowance or other emoluments unless specially classed as pay by the Board.

(10) Subscription of subscriber on leave.—The subscription of a subscriber absent on leave shall, during the period of such absence, be assessed on his leave pay but any such subscriber shall be at liberty to subscribe on the full amount of his pay provided notice in writing of his desire to do so is given by him not less than 14 days in advance of the first payment of his leave salary to the officer responsible for paying him.

(11) Small Industries Banks' contribution.—Save as otherwise provided in these Regulations, the Small Industries Bank shall contribute every month a sum equal to that subscribed by each subscriber to his account in the fund, provided that no such contribution shall be made by the Small Industries Bank in respect of subscriptions permitted under sub-regulation (iii) of Regulation 7 and sub-regulation (ii) of Regulation 9.

Provided further that in the case of a temporary employee subscribing under sub-regulation (iii) of Regulation 7 who is subsequently taken into the permanent employment of the Small Industries Bank, the Small Industries Bank shall contribute, on the employee being made permanent, a sum equal to the amount subscribed by him during his temporary service.

Provided further that in respect of subscriber who has been permitted to subscribe under clause (b) of sub-regulation (iii) of Regulation 7 the Small Industries Bank shall be liable to make contributions only if the conditions of service of such subscriber provide for the Small Industries Bank making such contributions.

(12) Notwithstanding anything contained in Regulation 11, where the terms of service of a Chairman or Managing Director provide for his subscribing to the Fund, the Small Industries Bank shall, from such date as may be applicable under such terms of service, contribute every month to his account in the Fund such sum, if any, as may be provided for in the said terms of service.

(13) Interest.—The Small Industries Bank shall credit interest on the amount standing to each subscriber's credit at the end of every half-year at a rate which shall be fixed by the Small Industries Bank having regard to the return which can be obtained on the investment of other provident, charitable, religious and trust and quasitrust funds in accordance with the regulations, schemes or directions made, framed or given by the Central Government in this behalf, provided that the rate of interest shall be equal to the rate allowed by the Development Bank in respect of its Employees' Provident Fund. Such interest shall be calculated to the nearest rupee on the monthly products of each subscriber's account

and shall be applied to the accounts half yearly as on the 31st March and 30th September.

(14) Annual Statement of each subscriber's account.—Every subscriber shall receive from the Administrators an annual statement showing the amount standing to his credit in the Fund.

(15) Borrowing from Fund.—(i) At the discretion of the Small Industries Bank, a temporary advance, the amount of which shall not in any case exceed the subscriber's own subscriptions and interest thereon, may be granted to a subscriber on application, from the amount standing to his credit in the Fund, subject to the following conditions:—

(A) The Small Industries Bank is satisfied that the amount will be expended on the following object or objects and not otherwise:—

(1) to pay expenses in connection with illness or disability, including where necessary, the travelling expenses, of the subscriber or any person actually dependant on him;

(2) to meet the cost of higher education, including where necessary, the travelling expenses, of the subscriber or any person actually dependant on him in the following cases, namely:—

(a) for education outside India for an academic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage; and

(b) for any medical, engineering, technical, professional or specialised, vocational course after the successful completion of ten years study in school conducted by any recognised institution and leading to a degree/diploma or certificate;

(3) to pay obligatory expenses on a scale appropriate to the status which by customary usage the subscriber has to incur in connection with marriages or other ceremonies of himself or of his children or of any other person actually dependant on him;

Provided that the condition of actual dependence shall not apply in the case of a son or daughter of the subscriber or in the case of an advance required to meet the funeral expenses of a parent of the subscriber;

(4) to meet the cost of legal proceedings instituted by the subscriber for vindicating his position in regard to any allegation made against him in respect of any act done or purporting to be done by him in the discharge of his official duty, the advance in this case being available in addition to any advance admissible for the same purpose from any other source from the Small Industries Bank;

Provided that the advance under this sub-clause shall not be admissible to a

subscriber who institutes legal proceedings in any court of law either in respect of any matter unconnected with his official duty or against the Small Industries Bank in respect of any condition of service or penalty imposed on him;

(5) to meet the cost of his defence where the subscriber is prosecuted by the Small Industries Bank in any court of law;

(6) to meet any other expenses or liability which, in the opinion of the Small Industries Bank, is unforeseen and extraordinary and beyond ordinary means of the Subscriber;

(B) An advance shall not, except for special reasons,—

(1) exceed 3 months' pay ('pay' as defined in the explanation to Regulation 9) or half the amount of the subscriber's own subscriptions to the Fund and interest thereon, whichever is less; or

(2) be granted until the final repayment of the previous advance.

(ii) (a) An advance shall be recovered from the subscriber in such number of equal monthly instalments as the Small Industries Bank may direct; but such number shall not be less than 12 unless the subscriber so elects for more than 24 provided that in special cases where the amount of advance exceeds three months' pay of the subscriber as provided by clause (B) of sub-regulation (1) the Small Industries Bank may fix such number of instalments to be more than 24 but in no case more than 36. A subscriber may at his option repay more than one instalment in one month. Each instalment shall be a number of whole rupees, the amount of the advance being raised or reduced, if necessary, to admit of the fixation of such instalments.

(b) Recoveries shall commence when the subscriber draws his pay for the full month for the first time after the advance is made. Recovery shall not be made except with the subscriber's consent while he is on leave, other than leave on full pay, or in receipt of subsistence grant.

(c) Recoveries made under this sub-regulation shall be credited as they are made to the subscriber's account in the Fund.

(16) (1) At the discretion of the Small Industries Bank and subject to such conditions and limitations as it may impose, an advance may be granted to a subscriber on application, from the amount standing to his credit in the Fund, for the purpose of purchasing shares in a Co-operative Housing Society or of making any deposit or payment of money by way of earnest or otherwise, in each case solely with a view to securing a suitable house or premises for his residence or the residence of any person dependant on him.

(ii) An advance under this Regulation shall be permitted only once during the service of the employee and shall not exceed the amount of the subscriber's subscriptions to the Fund and interest

thereon, or the amount actually required for the purpose for which the advance has been applied for, whichever is less

(iii) An advance under this Regulation shall be recovered in such number of monthly instalment, at such times and of such amount, as the Small Industries Bank may direct, the number of instalments not exceeding 120 in any case. A subscriber may at his option repay more than one instalment in one month and each instalment shall be a number of whole rupees.

(17) Insurance Policies.—(i) Sums to meet payments towards a policy of insurance on the life of the subscriber effected under a scheme of insurance maintained or approved by the Small Industries Bank may be withheld from subscriptions to the Fund or withdrawn from the amount subscribed thereto by the subscriber (including interest thereon). Any sum so withheld from a subscription shall be deemed to be part of the subscription for the purpose of calculating the Small Industries Bank's contribution under Regulation 11.

(ii) Where sums are withheld from subscriptions to the fund or withdrawn from the amount subscribed thereto by the subscriber under sub-regulation (i) above, the policy of insurance in respect of which such sums are withheld for withdrawn shall be transferred to the Small Industries Bank in consideration of the payment of premia on such policy and on such terms and conditions as the Small Industries Bank may impose in respect of the amount, if any, recovered by the Small Industries Bank from the insurer.

(18) When interest ceases to accrue.—Interest on all sums standing in the books of the Fund to the credit of a subscriber shall cease to accrue on the expiry of a period of six months from:

- (a) The day on which he leaves services of the Small Industries Bank, or
- (b) if he leaves the service of the Small Industries Bank on the expiry of any period of leave, commencing from or after the date on which he would have retired from the service of the Small Industries Bank but for such leave, or dies during such period of leave, the day on which such period of leave commences, or
- (c) if he dies before he leaves the service of the Small Industries Bank, otherwise than in the circumstances referred to in clause (b) above, from the date of his death.

Provided that if, in any case, before the expiry of the said period of six months,

- (i) at the request of the subscriber or any other person to whom the sums are payable under Regulation 25, the said sums are, or any portion thereof is authorised to be disbursed; or
- (ii) in pursuance of an order of a Court or a Tribunal the said sums are, or any portion thereof is, paid to the order of such Court or Tribunal,

Interest shall cease to accrue on the said sums or, as the case may be, on such portion, from the date on which the said sums are, or any portion thereof, is authorised to be disbursed, or as the case may be, paid to the order of such Court or Tribunal.

Provided further that even after the expiry of the period of six months referred to above, the Small Industries Bank may, in its absolute discretion and without being under any obligation so to do, allow interest on the sums standing in the books of the Fund to the credit of a subscriber, for a further period not exceeding one year, if the Small Industries Bank is satisfied that the non-payment of such sums to the subscriber or his nominee or nominees, or legal representatives, as the case may be, is not due to any default or lapse on the part of the subscriber, or his nominee or nominees or legal representatives, as the case may be.

(19) Payment of amount standing to credit of subscriber.—(i) The sums standing to the credit of a subscriber shall become payable on the termination of his service or on his death:

Provided that a subscriber on leave preparatory to retirement may at his option withdraw from the sums standing to his credit in the Fund an amount not exceeding his own subscriptions and the interest thereon;

Provided also that a subscriber, including any person permitted to subscribe to the Fund, under sub-clause (b) of clause (iii) of Regulation 7 may, at any time after completion of 15 years service, if the withdrawal is for the purpose specified in clause (b) of sub-regulation (ii) or after completion of 20 years service if withdrawal is for any other purpose and during 10 years immediately preceding the date of retirement or the date of expiry of his specified tenure of office as the case may be, be permitted by the Small Industries Bank at their discretion to withdraw, for the purposes and subject to the provisions contained in sub-regulations (ii), (iii) and (iv), from the sums standing to his credit in the fund unto such amount as specified in Regulation 20.

Provided further that there may, if the Committee of the Board of the Small Industries Bank, or any officer of the Small Industries Bank, as that Committee may specify in this behalf, so directs, be deducted therefrom and paid to the Small Industries Bank—

- (a) any amount due under a liability incurred by the subscriber to the Small Industries Bank up to the total amount contributed by the Small Industries Bank to his account, including the interest credited in respect thereof;

OR

- (b) where the subscriber has been dismissed from his employment on account of misconduct or gross negligence or where the subscriber has resigned his employment under the Small Industries Bank within five

years of the commencement of his continuous service, including temporary service, the whole or any part of the amount of such contributions together with the interest credited in respect thereof.

Explanation :

For purpose of these regulations any service rendered by a transferred employee in the Development Bank shall be deemed to be the service rendered by him in the Small Industries Bank.

(ii) (a) Subject to such terms and conditions as may be imposed by the Small Industries Bank, a withdrawal under the second proviso, to sub-regulation (i) may be permitted for—

- (1) meeting the cost of higher education, including where necessary the travelling expenses, of any child of the subscriber actually dependant on him, in the following cases, namely—
 - (i) for education outside India for academic, technical, professional or vocational course, beyond the high school stage; and
 - (ii) for any medical, engineering, technical, professional or specialised, vocational course after the successful completion of ten years' study in school conducted by any recognised institution and leading to a degree/diploma or certificate.
- (2) meeting the expenditure in connection with the marriage of the subscriber himself or the subscriber's son or daughter and if he has no daughter, of any other female relation dependant on him.
- (3) meeting the expenses in connection with the illness, including where necessary, the travelling expenses, of the subscriber or any person actually dependant on him;

Provided that a subscriber may, at his option, return to the Fund in lump sum the whole or any part of the sum so withdrawn by him.

(b) Subject to the provisions of clauses (c) to (j) withdrawals under the second proviso to sub-regulation (i) may also be permitted for the following purposes, namely :

- (1) purchase of a house or site for a house.
- (2) building a house on a plot of land belonging to the subscriber or the subscriber's spouse or both of them jointly, as the case may be, provided such spouse is a nominee under these Regulations and such nomination subsists on the date of application for withdrawal;
- (3) repayment of a loan taken for such purchase or building (including such a loan secured on the house or site purchased or house built);
- (4) reconstructing or making additions or alterations to a house already owned or acquired by the subscriber, or an ancestral house in

which the subscriber has an interest under the personal law applicable to the subscriber;

- (5) payment of stamp duty and registration charges in connection with acquisition of a house or a site;

Provided that withdrawals shall not be granted for acquisition of more than one house or site except in a case, covered by sub-regulation (v) of regulation 19.

(c) The house purchased or built should be for subscriber himself and in the case of a site, it should be for building a house for the subscriber himself; the house or site shall be at the station where the subscriber is working or at the place to be declared by him in writing, as the place where he intends to reside after retirement.

(d) The amount permitted to be withdrawn shall not exceed the amount required for the purpose for which withdrawal is permitted, any excess of the amount withdrawn over the amount actually required shall forthwith be refunded.

(e) The subscriber may at any time be required to satisfy the Small Industries Bank, in such manner as it may specify, of any of the following matters, namely :

- (1) that the amount sought to be withdrawn or permitted to be withdrawn is actually required for the purpose for which withdrawal is sought or has been permitted, and that it has been applied to such purpose ;
- (2) that the amount sought to be withdrawn or permitted to be withdrawn together with other funds, if any, available to the subscriber, is sufficient for the purpose for which withdrawal is sought or has been permitted;
- (3) that the subscriber has obtained or will obtain a good title to the site or the house, or where construction is to be put up on a site belonging to the subscriber's spouse, or both of them jointly has/have obtained or will obtain a good title to the site or the house; and
- (4) that the subscriber has obtained or will obtain all the permissions and approvals necessary for building the house and the subscriber shall comply with such requirement.

(f) Where the withdrawal is for building a house, such building shall commence before the expiry of six months or such longer period, as the Small Industries Bank may allow, and be completed before the expiry of eighteen months or such longer period as the Small Industries Bank may allow, from the date of the subscriber receiving the amount withdrawn or any part thereof.

(g) Where the withdrawal is for repayment of a loan, such repayment should be made within three months from the date of the subscriber receiving the amount withdrawn or any part thereof.

(h) Where the withdrawal is for the purpose of building a house, the amount permitted to be withdrawn may be paid out in such number of instalments

and at such time or times as the Small Industries Bank may determine having regard to the progress made in the building.

(i) The subscriber shall not without the previous written permission of the Small Industries Bank, transfer, mortgage or otherwise alienate the site or house; in default, the subscriber shall be liable to refund in one instalment the entire amount withdrawn.

(j) The subscriber may, at his option, return to the Fund the whole or any part of the sum withdrawn by him.

(iii) For the purpose of sub-regulation (ii) the expression "purchase of house" shall include—

(a) the participation, as a member of a co-operative housing society, whether by purchase of shares in, or by depositing sums with, such society, of residential accommodation allotted by the society; and

(b) the purchase of a residential house or premises on hire-purchase basis or otherwise, from a Housing Board, City Improvement Trust or other like authority, formed or established under any law for the time being in force;

and clauses (c), (d), (e)(1), (e)(2), (i) and (j) of sub-regulation (ii) shall, so far as may be, apply accordingly to withdrawals for such acquisition or purchase.

(iv) Where a withdrawal has been permitted under sub-regulation (ii) read with sub-regulation (iii), the following conditions shall also apply—

(a) The subscriber may be required to satisfy the Small Industries Bank that he has obtained title to the shares in the co-operative housing society concerned or has obtained the documents evidencing the deposit of sums with the society; or that he has obtained the documents evidencing his right to the residential house or premises purchased on hire purchase basis or otherwise from a Housing Board, City Improvement Trust or other like authority, formed or established under any law for the time being in force.

(b) The residential accommodation is obtained by the member before the expiry of six months, or such longer period as the Small Industries Bank may allow, from the date of the subscriber receiving the amount withdrawn or any part thereof;

(c) The amount may be permitted to be withdrawn in such number of instalments and at such time or times as the Small Industries Bank may determine.

(d) Except with the previous written permission of the Small Industries Bank, the subscriber shall not transfer, assign or create any encumbrance on such share or such shares, deposit or his interest in the residential accommodation allotted to him; in default, the subscriber shall be liable to refund forthwith in one instalment the entire amount withdrawn.

(v) In the event of a subscriber transferring, assigning or creating any interest whatsoever, in the house acquired by him with the help of a withdrawal under these Regulations, the subscriber shall refund to the Small Industries Bank the entire amount withdrawn by him forthwith on such transfer, assignment or creation of interest, as the case may be.

Provided where such transfer, assignment or creation of interest in with the permission of the Small Industries Bank and the subscriber has refunded, to the Small Industries Bank the amount withdrawn by him, he shall be eligible for a fresh withdrawal from the fund, subject to the other provisions of these regulations.

(20) Limits and Conditions as to withdrawal.—

(i) Any sum withdrawn by a subscriber at any one time for one or more of the purposes specified in clause (a) or sub-clause (4) of clause (b) of sub-regulation (ii) of Regulation 19 from the amount standing to his credit in the Fund shall not ordinarily exceed one-half of his own subscriptions and the interest thereon or six months' pay ('pay' as defined in the Explanation to regulation 9) whichever is less. The sanctioning authority may, however, sanction the withdrawal of an amount in excess of this limit up to 3/4ths of his own subscriptions and the interest thereon in the Fund having due regard to (i) the object for which the withdrawal is being made, (ii) the status of the subscriber and (iii) the amount of his own subscriptions and the interest thereon in the Fund.

(ii) Any sum withdrawn by a subscriber under clause (b) of sub-regulation (ii) of Regulation 19 [except sub-clause (4) of that clause] shall not exceed his own subscriptions and interest thereon.

Provided that in a case where both the husband and wife are employees of the Small Industries Bank subscribing to the Fund and are each others nominees, the aggregate of the advance and withdrawal that can be availed of by both of them for the purpose of acquiring one house in the name of either shall not exceed such amount that may be specified by the Small Industries Bank from time to time as available to a single subscriber.

(iii) A subscriber who has been permitted to withdraw money from the Fund under sub-regulation (ii) of Regulation 19 shall satisfy the Small Industries Bank within a reasonable period as may be specified by the Small Industries Bank that the money has been utilised for the purpose for which it was withdrawn, and if he fails to do so, the whole of the sum so withdrawn, or so much thereof as has not been applied for the purpose for which it was withdrawn, shall be forthwith repaid in one lump sum together with interest thereon at the rate determined under Regulation 13, by the subscriber to the Fund, and in default of such payment, it shall be ordered by the Small Industries Bank to be recovered from his emoluments either in a lump sum or in such number of monthly instalments as may be determined by the Small Industries Bank.

(21) Conversion of advance into withdrawal.—A subscriber who has been granted an advance under Regulation 15 or Regulation 16 for any of the purposes specified therein, may be permitted by the Small Industries Bank to convert the balance outstanding against such advance into a withdrawal under Regula-

tion 19 on his satisfying the relative conditions laid down in that Regulation.

(22) Sanctioning authority and delegation of powers.—(i) The Administrators may, subject to such conditions as they may think fit to impose, delegate to any officer of the Small Industries Bank as they may specify in this behalf all or any of the powers conferred upon them by these Regulations with the exception of the powers conferred by Regulation 5 and the proviso to Regulation 7(iii)(b).

(ii) Without prejudice to the provisions of sub-Regulation (i) :

- (a) An advance under Regulation 15 or Regulation 16 upto six months' pay of the subscriber or one-half of the subscriber's own subscriptions and interest thereon, whichever is higher, may be sanctioned by the General Manager and any other advance from the Fund may be sanctioned by an Executive Director or Managing Director;
- (b) Withdrawals under the first proviso to sub-regulation (i) of Regulation 19 may be sanctioned by the General Manager;
- (c) Withdrawals under the second proviso to sub-regulation (i) of Regulation 19 up to six months' pay of the subscriber or one-half of the subscriber's own subscriptions and interest thereon, whichever is higher, may be sanctioned by the General Manager and any other withdrawal under that Regulation may be sanctioned by an Executive Director or Managing Director.

(iii) For the purpose of this Regulation—

- (a) "General Manager" includes a Deputy General Manager and a Manager;
- (b) "Pay" has the same meaning as in the Explanation to Regulation 9.

(23) Nominations.—(i) Every subscriber shall nominate in Form 2 annexed to these Regulations one or more members of his family to whom the amount standing at his credit in the Fund shall be payable in the event of his death. A subscriber who has no family shall nominate a person in Form 3 annexed to these Regulations provided that such nomination shall be valid only for so long as the subscriber has no family and that if a member subsequently acquires a family he shall formally cancel the previous nomination and nominate a member of the family in Form 2.

Provided that any nomination made under the Industrial Development Bank of India Employees' Provident Fund Regulation by the transferred employee shall be deemed to be a nomination made under this Regulation.

(ii) A subscriber may in his nomination distribute the amount that may stand to his credit in the Fund amongst his nominees at his own discretion.

(iii) A nomination may be cancelled by a subscriber and replaced by any nomination which is permitted to be made under this Regulation.

3098 GI/90—4

(iv) No nomination or notice of cancellation shall be effective unless it has been received in the Head Office of the Small Industries Bank while the subscriber is still in the service of Small Industries Bank and has been registered in the books of the Funds.

(v) Without prejudice to his right under sub-regulation (iii) to cancel a previous nomination, a subscriber shall, along with every nomination made by him under this Regulation, send to the Head Office of the Small Industries Bank a contingent notice of cancellation which shall be in such one of the Forms (4 and 5) annexed to these Regulations as is appropriate in the circumstances.

Explanation I

In this Regulation, and in Regulation 25 'family' means the wife or wives, or husband and children of a subscriber and the widow or widows and children of a deceased son of a subscriber :

Provided that if a subscriber proves that his wife has been judicially separated from him or has ceased under the customary law of community to which she belongs, to be entitled to maintenance she shall no longer be deemed to be a member of the family unless the subscriber subsequently indicates by express notification in writing to the Administrator that she shall continue to be so regarded :

Provided further that if a subscriber by notification in writing to the Administrators expresses her desire to exclude her husband from the family, the husband shall no longer be deemed to be a member of the family unless the subscriber subsequently cancels formally in writing her notification excluding him :

Provided further that, in cases where adoption is recognised by the personal law governing the subscriber, an adopted child shall be considered as a child.

EXPLANATION II

For the purpose of this Regulation 'person' includes the Central Government, a State Government, a local authority, a company, an association or body of individuals, whether incorporated or not, or any person designated by virtue of office.

(24) Nomination of dependants in certain cases.—Notwithstanding anything contained in Regulation 23, a subscriber may nominate any person who is a dependant as defined in the Provident Funds Act, 1925, if the Small Industries Bank is satisfied that the making or the subsistence of a nomination in accordance with that Regulation would cause undue hardship or would not be just and equitable. Such nomination shall be made in Form 6 annexed to these Regulations.

(25) Payment on death of a subscriber.—On the death of the subscriber—

(i) When the subscriber leaves a family—

- (a) If a nomination made by the subscriber in accordance with these Regulations in favour of a member or members of his family subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates, shall become payable to

the nominee or nominees in the proportion specified in the nomination;

- (b) If no such nomination in favour of a member or members of the family of the subscriber subsists or if such nomination relates only to a part of the amount standing to his credit in the Fund, the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relate, as the case may be, shall notwithstanding any nomination purporting to be in favour of any person or persons other than a member or members of his family, become payable to the members of his family in equal shares :

Provided that no share shall be payable to—

- (1) sons who have attained legal majority;
- (2) sons of a deceased son who have attained legal majority;
- (3) married daughters whose husbands are alive;
- (4) married daughters of a deceased son whose husbands are alive;

If there is any member of the family other than those specified in clauses (1), (2), (3) and (4);

Provided further that the widow or widows and the child or children of a deceased son shall receive between them in equal parts only the share which that son would have received if he has survived the subscriber and if, in a case where had he survived the subscriber, he would have been excluded from a share under clause (i) of the first proviso, he had not been so excluded.

Provided further that if a nomination under Regulation 24 in favour of a dependant or dependants subsists, the amount standing to the credit of the subscriber or the part thereof to which the nomination relates shall, notwithstanding anything contained in this sub-clause, become payable to nominee or nominees in the proportion specified in the nomination.

(ii) When the subscriber leaves no family—

- (a) if a nomination made by the subscriber in accordance with these Regulations in favour of any person or persons, who is or are a dependant or dependants of the subscriber, as defined in clause (c) of Section 2 of the Provident Funds Act, 1925, subsists, the amount

standing to his credit in the Fund or, as the case may be, the part thereof to which the nomination relates, shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination;

- (b) if any such nomination subsists in favour of any person who is not a dependant as defined in clause (c) of Section 2 of the Provident Funds Act, 1925 the amount standing to his credit in the Fund or, as the case may be, the part thereof to which the nomination relates, shall become payable to such nominee if the amount does not exceed five thousand rupees:

- (c) if no such nomination subsists, or if such nomination relates only to a part of the amount standing to the credit of the subscriber in the Fund, the whole or as the case may be, the part thereof to which the nomination does not relate, shall become payable to any person appearing to the Administrators to be otherwise entitled to receive it, if the whole sum or, as the case may be, the part thereof does not exceed five thousand rupees;

- (d) any sum or any part thereof which is not payable to any person under sub-clause (a), (b), (c) shall become payable to any person on production of probate or letters of administration evidencing the grant to him of administration to the estate of the deceased or a succession certificate in accordance with clause (c) of Section 4 of the Provident Funds Act, 1925.

Note :

When a nominee or other person is a dependant of the subscriber, as defined in clause (c) of Section 2 of the Provident Funds Act, 1925, the amount payable to such nominee or other person under these Regulations vests in the dependant under sub-section (2) of section 3 of the said Act.

(26) Agreement to be executed by subscribers.— Every employee on becoming a subscriber to the Fund shall execute an agreement in Provident Fund Form 1 annexed :

Provided that any similar agreement executed by a Transferred Employee for the purpose of the Industrial Development Bank of India Employees' Provident Fund Regulations shall be deemed to be an agreement executed for the purpose of this regulation.

Provident Fund Form J

FORM OF AGREEMENT

Regulation 26

Place _____

Date _____

To

The Administrators of the
Small Industries Development
Bank of India Employees'
Provident Fund

Gentlemen,

I hereby declare that I have read and understood the Small Industries Development Bank of India Employees' Provident Fund Regulations, 1990 and I hereby subscribe and agree to be bound by the said Regulations.

Name (in full) _____

Date of birth _____

Nature of appointment _____

Salary per month _____

I am

Yours faithfully,

(Signature)

Index No. _____

Witness :

Signature _____

Designation _____

Address _____

Provident Fund Form 2

Form of nomination when subscriber has a family

Regulation 23 (i)

Index No. _____

Name _____

Place _____

Date _____

To

The Administrators of the
Small Industries Development
Bank of India Employees'
Provident Fund

Gentlemen,

I hereby direct that the amount payable to me from the Small Industries Development Bank of India Employees' Provident Fund at the time of my death shall be distributed among the members of my family mentioned below in the manner shown against their names :—

Name and address of the nominee or nominees	Relationship with the subscriber	Age of the nominee	Amount or share of accumulations
1	2	3	4

I am
Yours faithfully,

(Signature)

Witness :

(1) _____

Designation _____

Address _____

(2) _____

Designation _____

Address _____

Subscriber's signature
verified by me

P. Manager

Note: Column 4 shall be filled in so as to cover the whole amount at credit.

Provident Fund Form 3

Form of nomination when subscriber has no family
Regulation 23(i)

Index No. _____

Name _____

Place _____

Date _____

To

The Administrators of the
Small Industries Development
Bank of India Employees'
Provident Fund

Gentlemen.

I hereby declare that I have no family and direct that the amount payable to me from the Small Industries Development Bank of India Employees' Provident Fund at the time of my death shall, in the event of my having no family, be distributed among persons mentioned below in the manner against their names :—

Name and address of the nominee or nominees	Relationship, if any, with the subscriber	Age of the nominee	Amount or share of accumulations
1	2	3	4

I am
Yours faithfully,

(Signature)

Witness :

(1) _____

Designation _____

Address _____

(2) _____

Designation _____

Address _____

Subscriber's signature
verified by me

P. Manager

Note: Column 4 shall be filled in so as to cover the whole amount at credit.

Provident Fund Form 4

Contingent Notice of Cancellation

Regulation 23(v)

(Where nomination is in favour of one or more
members of the subscriber's family)

Without prejudice to my right under sub-regulation (iii) of Regulation 23 of the Small Industries Development Bank of India Employees' Provident Fund Regulations, 1990 to cancel the nomination made by me whenever I think fit, I hereby give notice that in the event of the person/any of the persons nominated thereunder predeceasing me, the said nomination shall forthwith stand cancelled in so far as it relates to the rights conferred upon such person/any of such persons.

Dated this _____ day of _____ 19 _____ at _____

Signature of Subscriber _____

Two witnesses to signature :

1. _____

2. _____

Provident Fund Form 5

Contingent Notice of Cancellation

Regulation 23(v)

(Where nomination is in favour of one or more
persons not being members of the subscriber's family)

Without prejudice to my right under sub-regulation (iii) of Regulation 23 of the Small Industries Development Bank of India Employees' Provident Fund Regulations, 1970 to cancel the nomination made by me whenever I think fit, I hereby give notice that in the event of the person any of the persons nominated thereunder predeceasing me, the said nomination shall forthwith stand cancelled in so far as it relates to the rights conferred upon such person/any of such persons.

Dated this _____ day of _____ 19 _____ at _____

Signature of Subscriber _____

Two witnesses to signature :

1. _____

2. _____

Provident Fund Form 6

Form of nomination to be completed when the subscriber has a family but wishes to nominate a dependant in terms of Regulation 24.

Index No. _____

Name _____

Place _____

Date _____

To

The Administrators of the
Small Industries Development
Bank of India Employees
Provident Fund

Gentlemen.

I hereby direct that the amount payable to me from the Small Industries Development Bank of India Employees' Provident Fund at the time of my death shall be distributed among my dependents mentioned below in the manner shown against their Names:—

Name and address of the nominee or nominees	Relationship with the subscriber	Age of the nominee	Amount or share of accumulations	Reasons for nominating dependant when the subscriber has a family
1	2	3	4	5

W

W

W

I am
Yours faithfully,

(Signature)

Witness :

(1) _____

Designation _____

Address _____

(2) _____

Designation _____

Address _____

Subscriber's signature
verified by me

P. Manager

Note: Column 4 shall be filled in so as to cover the whole amount at credit.

Provident Fund Form 7

Form fixing rate of additional subscriptions
Regulation 9 (ii)

Place _____

Date _____

To

The Manager,
Small Industries Development
Bank of India

Sir,

I hereby request that in terms of Regulation 9 (ii) of the Small Industries Development Bank of India Employees' Provident Fund Regulations, 1990 per cent of my pay be deducted every month as my voluntary additional subscription to the Provident Fund, the first of such deductions to be made from my pay for the month of 19

I am
Yours faithfully,

(Signature)

Name _____

Designation _____

Index No. _____

Provident Fund Form 8

(Form fixing rate of subscription)
Regulation 9(i)

Place _____

Date _____

To

The Manager
Small Industries Development
Bank of India

Sir,

I hereby direct under Regulation 9(i) of the Small Industries Development Bank of India Employees' Provident Fund Regulations, 1990 that _____ per cent of my pay may be deducted every month as my subscription to the Provident Fund.

I am
Yours faithfully,

Signature

Name _____

Designation _____

Index No. _____

R.S. AGRAWAL, Managing Director

Note:—Certified that Industrial Development Bank of India have given approval to Small Industries Development Bank of India (Employees' Provident Fund) Regulations, 1990 vide their letter dated August 31, 1990.

Manager (Legal)